छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 416/एल-3-1/2012/ब-4/चार नया रायपुर, दिनांक 13.06.2013

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
वन/पंचायत एवं ग्रामीण विकास/वित्त/योजना, आर्थिक एवं सांख्यकीय/गृह/जेल/लोक निर्माण/राजस्व एवं आपदा प्रबंधन/आवास एवं पर्यावरण/खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण/नगरीय प्रशासन एवं विकास/महिला एवं बाल विकास/सामान्य प्रशासन/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/संस्कृति विभाग
मंत्रालय, रायपुर.

विषयः-तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त अनुदान हेतु राज्य उच्च अधिकार समिति की वर्ष 2013-14 की प्रथम बैठक दिनांक 03 जून, 2013 का कार्यवृत्त ।

----0000----

विषयांतर्गत राज्य उच्च अधिकार समिति की वर्ष 2013-14 की प्रथम बैठक दिनांक 03 जून, 2013 का कार्यवृत्त आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है ।

2. तेरहवें वित्त आयोग के संबंध में भारत सरकार के दिशा निर्देश, राशि की विमुक्ति एवं अन्य संबंधित जानकारी वित्त विभाग के वेबसाईट **http://cgfinance.nic.in** पर उपलब्ध है ।

संलग्न-उपरोक्तानुसार ।

12/6/13

(प्रशांत लाल)
शोध अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ. क्रमांक 417/एल-3-1/2012/ब-4/चार नया रायपुर, दिनांक 13.06.2013

प्रतिलिपि-

1. संचालक, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, वित्त आयोग प्रभाग, ब्लाक नं. -11, 5 वीं मंजिल, सी.जी.ओ.कांप्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.
2. सचिव, भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली.
3. सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली.
4. सचिव, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली.
5. सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली.

6. सचिव, भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली.
7. सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिलली.
8. अवर सचिव, छ.ग. शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, रायपुर .
9. श्री बघेल, प्रोग्रामर, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, रायपुर.

4/6/13

शोध अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन,वित्त विभाग

तेरहवें वित्त आयोग अनुशंसा अनुदान हेतु दिनांक 03/06/2013 को आयोजित राज्य उच्च अधिकार अनुश्रवण समिति की प्रथम बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 03 जून, 2013 को राज्य उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति की वर्ष 2013-14 की प्रथम बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संपन्न हुई । बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची संलग्न है ।

बैठक में एजेण्डा बिन्दुओं पर विभागवार निम्नानुसार निर्णय लिए गए:-

(1) **क्षमता निर्माण (राजस्व विभाग) :-**

भारत सरकार से वर्ष 2010-11 एवं वर्ष 2011-12 में प्राप्त क्रमशः ₹ 4.00-4.00 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को शीघ्र प्रेषित किया जावे, ताकि आगामी किश्त शीघ्र प्राप्त की जा सके । वर्ष 2013-14 की विभागीय कार्ययोजना **(परिशिष्ट-01)** का अनुमोदन किया गया ।

(कार्यवाही: राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग)

(2) **यू.आई.डी. (खाद्य विभाग) :-**

जनसंख्या निदेशालय से समन्वय स्थापित कर वर्ष 2010-11 में प्राप्त राशि ₹ 9.10 करोड़ मैदानी क्षेत्रों में शीघ्र व्यय की जाए । विभाग द्वारा वर्ष 2013-14 की कार्ययोजना भी शीघ्र प्रस्तुत की जाए ।

(कार्यवाही: खाद्य विभाग)

(3) **सांख्यिकी प्रणाली का उन्नयन (योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग) :-**

विभाग द्वारा प्रस्तुत Perspective Plan तथा वर्ष 2013-14 की वार्षिक कार्ययोजना **(परिशिष्ट-02)** का अनुमोदन किया गया । वर्ष 2011-12 में प्राप्त राशि ₹ 3.60 करोड़ के विरूद्ध व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शीघ्र प्रेषित किया जाए ।

(कार्यवाही; योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग)

(4) **कर्मचारी एवं पेंशन डेटाबेस :-**

वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 5.16 करोड़ की कार्ययोजना **(परिशिष्ट-03)** का अनुमोदन किया गया ।

(कार्यवाही: वित्त विभाग)

(5) **पंचायत निकायों को अनुदान :-**

वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 462.70 करोड़ की कार्ययोजना **(परिशिष्ट-04)** का अनुमोदन किया गया । वर्ष 2012-13 में प्राप्त निष्पादन अनुदान की प्रथम किश्त ₹ 86.00 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शीघ्र प्रेषित किया जाए ।

(कार्यवाही: पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग)

(6) <u>सड़क एवं पुलों का संधारण :-</u>

i) वर्ष 2012-13 में सड़क एवं पुल मरम्मत मद में भारत सरकार से ₹ 83.00 करोड़ शर्तों का पालन न होने से अप्राप्त रहे । निर्णय लिया गया कि वर्ष 2012-13 की ₹ 83.00 करोड़ की अनुमोदित कार्ययोजना के कार्य वर्ष 2013-14 में प्राप्त होने वाली राशि ₹ 96.00 करोड़ से किए जाएँ । इसी प्रकार वर्ष 2011-12 की अनुमोदित कार्ययोजना ₹ 69.00 करोड़ की प्रीमीयम राशि लगभग ₹ 11.00 करोड़ के कार्य भी वर्ष 2013-14 में प्राप्त होने वाली राशि से किए जाएँ । वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 96.00 करोड़ का कार्ययोजना <u>(परिशिष्ट-05)</u> का अनुमोदन इस शर्त पर किया गया कि ये कार्य वर्ष 2012-13 की देय राशि ₹ 83.00 करोड़ प्राप्त होने पर ही प्रारंभ किए जाएँ ।

(कार्यवाही: पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग)

ii) वर्ष 2012-13 में अप्राप्त राशि ₹ 83.00 करोड़ प्राप्त करने हेतु भारत सरकार, वित्त मंत्रालय से पुनः अनुरोध किया जावें ।

(कार्यवाही: वित्त विभाग)

(7) <u>नगरीय निकायों को अनुदान :-</u>

वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 113.44 करोड़ की कार्ययोजना <u>(परिशिष्ट-06)</u> का अनुमोदन किया गया ।

(कार्यवाही: नगरीय प्रशासन विकास विभाग)

(8) <u>स्वास्थ्य अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण</u> :-

वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 17.13 करोड़ की विभागीय कार्ययोजना <u>(परिशिष्ट-07)</u> का अनुमोदन किया गया । भारत सरकार से राशि प्राप्त होने की प्रतीक्षा न करते हुए वर्ष 2012-13 के अधूरे कार्य एवं वर्ष 2013-14 के अनुमोदित कार्य तत्काल प्रारंभ किए जाएँ ।

(कार्यवाही: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

(9) <u>नया रायपुर का विकास</u> :-

i) वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 137.50 करोड़ की विभागीय कार्ययोजना <u>(परिशिष्ट-08)</u> का अनुमोदन किया गया । वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में अभी तक प्राप्त राशि ₹ 275.00 करोड़ के विरूद्ध दो तिहाई राशि ₹ 183.00 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शीघ्र प्रेषित किया जाए, ताकि वर्ष 2013-14 में प्राप्त होने वाली राशि ₹ 137.50 करोड़ शीघ्र प्राप्त हो सकें ।

(कार्यवाही: आवास एवं पर्यावरण विभाग)

ii) पूर्व निर्णय अनुसार माननीय मंत्रीगणों एवं वरिष्ठ सचिवों हेतु 'बी' एवं 'सी' टाईप के आवास गृहों का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाना है । समिति के ध्यान में यह तथ्य लाया गया कि अभी तक स्थल चयन नहीं किए जाने के कारण प्राक्कलन वित्त विभाग को प्रेषित नहीं किया गया है, जिसके कारण प्रशासकीय स्वीकृति भी नहीं दी जा सकी है । विभाग को निर्देश दिए गए कि स्थल चयन पर शीघ्र निर्णय लिया जाकर प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें ।

(कार्यवाही: लोक निर्माण विभाग)

(10) **पुलिस प्रशिक्षण एवं पुलिस आवासीय गृहों का निर्माण** :-

वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 73.00 करोड की विभागीय कार्ययोजना **(परिशिष्ट-09)** का अनुमोदन किया गया । वर्ष 2012-13 में प्राप्त ₹ 73.00 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रेषित किया जाए, ताकि वर्ष 2013-14 में प्राप्त होने वाली राशि ₹ 73.00 करोड़ शीघ्र प्राप्त हो सकें ।

(कार्यवाही: गृह विभाग)

(11) **कारागार अवसंरचना का सुदृढीकरण** :-

वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 37.50 करोड़ की विभागीय कार्ययोजना **(परिशिष्ट-10)** एवं वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 की बचत राशि से वर्ष 2013-14 में किए जानें वाले कार्यों **(परिशिष्ट-11)** का अनुमोदन किया गया । वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 में प्राप्त क्रमश: ₹ 37.50 करोड़ तथा ₹ 22.76 करोड़ का उपयोगिता-प्रमाण पत्र शीघ्र प्रेषित किया जाए, ताकि वर्ष 2013-14 में प्राप्त होने वाली राशि ₹ 37.50 करोड़ शीघ्र प्राप्त हो सकें ।

(कार्यवाही: जेल विभाग)

(12) **पुरातत्व संरक्षण** :-

वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 11.25 करोड़ की विभागीय कार्ययोजना **(परिशिष्ट-12)** का अनुमोदन इस शर्त पर किया गया कि कार्ययोजना में सिरपुर में संग्रहालय निमार्ण का कार्य भी शामिल किया जाए । वर्ष 2011-12 में प्राप्त ₹ 11.25 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शीघ्र प्रेषित किया जाए ।

(कार्यवाही: संस्कृति विभाग)

(13) **आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण** :-

आंगनबाडी भवनों का निर्माण मनरेगा के Convergence से किया जाए । तदनुसार वर्ष 2013-14 की संशोधित कार्ययोजना शीघ्र प्रस्तुत की जाए । वर्ष 2012-13 में प्राप्त ₹ 37.50 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र प्रेषित किया जाए, ताकि वर्ष 2013-14 में प्राप्त होने वाली राशि ₹ 37.50 करोड़ शीघ्र प्राप्त हो सकें ।

(कार्यवाही: महिला एवं बाल विकास विभाग)

(14) **प्रशासन अकादमी का निर्माण :-**

वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 7.00 करोड़ की विभागीय कार्ययोजना **(परिशिष्ट-13)** का अनुमोदन किया गया। वर्ष 2012-13 में प्राप्त राशि ₹ 7.00 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शीघ्र प्रेषित किया जाए ।

(कार्यवाही: सामान्य प्रशासन विभाग)

(15) <u>वन संरक्षण</u> :-

वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 102.00 करोड़ की विभागीय कार्ययोजना <u>(परिशिष्ट-14)</u> का अनुमोदन इस शर्त पर किया गया कि विभाग वर्ष 2013-14 की विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत करें । कार्ययोजना में जो मद नवीन मद के स्वरूप के है उन्हें वर्ष 2013-14 के प्रथम अनुपूरक बजट में शामिल करनें हेतु आवश्यक प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रस्तुत किए जाएँ । वर्ष 2012-13 की कार्ययोजना में स्थल परिवर्तन संबंधी विभागीय प्रस्ताव <u>(परिशिष्ट-15)</u> का अनुमोदन किया गया ।

(कार्यवाही: वन विभाग)

समस्त विभागों को निर्देश दिए गए कि वर्ष 2013-14 की अनुमोदित कार्ययोजना में सम्मिलित कार्यों के प्राक्कलन तैयार करने एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही तत्काल पूर्ण कर ली जाए, ताकि भारत सरकार से अनुदान राशि प्राप्त होने पर कार्य अविलंब प्रारम्भ किए जा सके ।

(कार्यवाही: समस्त प्रशासकीय विभाग)

अंत में अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई ।

(मुख्य सचिव द्वारा अनुमोदित)

11/6/13

(सी.जे. खत्री)
संयुक्त सचिव

बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची

1.	श्री विवेक ढांड	-	अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
2.	श्री डी.एस. मिश्र	-	अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं योजना विभाग
3.	श्री एम.के. राउत	-	प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं नगरीय प्रशासन विभाग
4.	श्री एन. बैजेंद्र कुमार	-	प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग
5.	श्री एस.के. कुजूर	-	प्रमुख सचिव, वन विभाग
6.	श्री के.आर. पिस्दा	-	सचिव, राजस्व विभाग
7.	श्री सुब्रत साहू	-	सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग
8.	श्री विकास शील	-	सचिव, खाद्य विभाग
9.	श्री आर.सी. सिन्हा	-	सचिव, संस्कृति विभाग
10.	श्री पी.सी. मिश्रा	-	सचिव, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी

विभागाध्यक्ष कार्यालय

1.	श्री जी.पी. सिंह	-	महानिरीक्षक, पुलिस
2.	श्री सुधीर अग्रवाल	-	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सीजीआरआरडीए
3.	श्री अमित कटारिया	-	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नारडा
4.	श्री डी.के. प्रधान	-	प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग
5.	श्री अमिताभ पण्डा	-	आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय
6.	श्री ए. एक्का	-	अतिरिक्त संचालक, प्रशासन अकादमी
7.	श्री एस.बी.जे. क्लाडियस	-	अतिरिक्त संचालक, कोष लेखा पेंशन
8.	डॉ. के.के. गुप्ता	-	उपमहानिरीक्षक, जेल
9.	श्री जे.पी. पड़वार	-	अतिरिक्त संचालक, लोक अभियोजन

परिशिष्ट – 01 FORMAT-II

GRANT-IN-AID FOR CAPACITY BUILDING FOR DISASTER RESPOSNE

Annual Work plan for 2013-14: Finance & Physical

Name of the State : Chhattisgarh

Sl. No.	Item/area of activities	Amount (in Lakhs)	Physical achievement at the end of the year	Remarks
1	**Main Activity : Research & Development**	**75.00**		
	1) Hazard Risk Vulnerability Analysis (All District)	75.00	The Project Will be Completed.	
2	**Main Activity : Equipped & Prepared/Strengthening of Disaster Response and Information Centres**	**50.00**		
	iii) Setting up of an effective communication system for the State	50.00	All tahsil level Disaster Response & Information Centres will be Operational.	
3	**Main Activity :** Setting up of C.G. State Disaster Management Institute-Preparation of Detailed Project Report for setting up the Centre	**75.00**	Formulation of the State Disaster Management Institute Chhattisgarh.	
4	**Main Activity : Awarness Generation** i) Sensitisation meetings/ IEC meterials/ audio-visual/advertisement etc.	**10.00**	i) 10 rounds of Advertisements on do and donts on Floods in newspapers and TV throughout the Flood season. Ii) 10 rounds of Advertisements on Fire through print and audio visual media.	
5	**Main Activity :** Capacity Building, Training and Education including foreign training	**125.00**		
	i) School Safety : a) Preparation of School & College DM Plans, Mock drills once in a year b) Safety Audit of Sc	20.00	Traing of 5000 teachers on School Safety Development 1000 School safety plan developed @ 500 school x 18 districts	
	ii) Disaster Preparedness of Hospitals a) Preparation of Mass casualty Management Plans for the Medical College Hospitals b) Training of Doctors, Nurses, Paramedics, Med	20.00	Traing of 100 doctors trained on Hospital Preparedness & Mass Casualty Management. 50 doctors will be on Trauma Management and 100 Paramedics trained on Mass Casualty handling. Traing of Safety audit of all 18 district hospitals and 3 Medical College hospitals.	

	iii) Training on Earthquake Resistant Construction Techniques a) Training of Engineers/Architects on earthquake resistant tachniques	20.00	Traing of 200 government engineers and 100 Architect from Government & Private Sector will be trained on Earthquake resistant technology. 200 Masons will be trained on Earthquake resistant technology & safe Construction Practices.	
	iv) Training on Urban and Rural Fire Safety Management a) Training of Fireman on Urban Fire b) Preparation of Demo kit for mason training by leading Bhilai Steel Plant Fire Service.	65.00	This State is planning to established a New Fire Service under the Director General of Home Guard. Prepartion of State Fire Service Plan and active District Fire Service Plan. 500 Home Guard Jawan will be trained on Fire Fighting and Fire Management. Training given by Bhilai Steel Plant Bhilai Fire Service. Mock drill and workshop organization of mock drill , workshop and establishment of **Simulator** building for fire.	
6	**Main Activity : Preparation of Disaster Management Plan at District Level**	**20.00**	18 DDMP disaster management plan prepared and will be updated regularly.	
	i) Preparation DDMPs			
7	**Main Activity : Community Based Disaster Preparedness**	**20.00**		
	a) Training of Volunteers by Homagard/police training institute at Chandkhuri raipur C.G.	10.00	Traing of 450 Volunteers training on search and rescue and first aid	
	b) Training of Volunteers on First Aid, Search & Rescue through Homegard	10.00		
8	**Main Activity : Workshops & Conferences**	**25.00**	1 Number of State lavel workshop will be conducted on the different Hazard.	
	a) State Level workshop/conference on i) Flood & Fire	15.00		
	b) State Level Workshop/conference on i) Drough Management	10.00		
Total		**400.00**		

परिशिष्ट-02

Business Register

	1st yr (2011-12)	2nd yr (2012-13)	3rd yr (2013-14)	4th yr (2014-15)	5th yr
As per existing plan	(i) Listing State/district levels authorities meant for registration of legal entities with complete official addresses, designation of the officer responsible for providing information. (ii) Listing items of statutory information at the time of registration separately for each type of institution. (iii) Development of database in electronic form for consolidation of all such information available.	(i) Updating of Business Register (BR) developed in 1st year (ii) Preparation of a list of non-farm unincorporated enterprises using the database available with the local bodies. (E.g. sole proprietorship enterprises, partnership enterprises).	(i) Collection of micro level data on the basis of a sampling design for compilation of district income estimates for organized sector of the economy.	(i) Collection of micro level data on the basis of a sampling design for compilation of district income estimates for unincorporated sector of the	i. Utilising the data for DDP
Achieve-ment till march 13 end		(i) Training imparted work started in last qurter. (ii) Listing State/district levels authorities and Listing items of statutory information are in progress, to be completed by June 13 end.			
Revised plan	no work	i. Training imparted work started in last qurter	(i) Listing of registering authorities and items of statutory information for each type of institution. (ii) Preparing list of enterprises from such statutory authorities. (iii) Preparing list of non-farm unincorporated enterprises from local bodies. (E.g. sole proprietorship / partnership enterprises) (iv) Development of database in electronic form for consolidation of registering authorities and establishments	(i) Collection of micro level data on sampling basis for DDP estimates both for organized sector and unorganised sector	i. Utilising the data for DDP

Coverage of Local Bodies

	1st yr (2011-12)	2nd yr (2012-13)	3rd yr (2013-14)	4th yr (2014-15)	5th yr
As per existing plan	Planning, training to cover all local bodies data on receipt & payment within 2015.	Collection and tabulation of data on Reciepts and Payments from 30% of local bodies.	Collection and tabulation of data on Reciepts and Payments from an additional 30% local bodies.	Collection, tabulation and consolidation of data on Reciepts and Payments from rest 40% of local bodies.	i. Utilising the data for DDP
Achievement	Planning, training to cover all local bodies data on receipt & payment within 2015.	Data collected from 10% of local bodies, tabulated and sent to CSO.			
Revised plan	Planning, training to cover all local bodies data on receipt & payment within 2015.	Data collected from 10% of local bodies, tabulated and sent to CSO.	Data to be collected from 30% of local bodies, tabulated.	Data to be collected from 30% of local bodies, tabulated.	same execise for remaining local bodies. 2.The information collected from local bodies will be computerized and processed at District/State HQ.

Collection of Farm Activity Data

	1st yr (2011-12)	2nd yr (2012-13)	3rd yr (2013-14)	4th yr (2014-15)	5th yr
As per existing plan	no work	Identification of 10 major crops in each district and collection of estimates of cultivated area, production and peak period arrival prices at primary market for these crops, from either the existing administrative records or through studies to compile these	Conducting of cost of cultivation studies for important crops and their dissemination for the use of estimating district level Gross Value Added (GVA).	Collection of data on production, prices for Horticulture and other crops, either from the existing administrative records or conduct studies to compile it.	Utilising the data for DDP
Achieve-ment till march 13 end	no work	Identification of 10 major crops in each district and collection of estimates of cultivated area, production			
Revised plan	no work	Identification of 10 major crops in each district and collection of estimates of cultivated area, production	(i) collection of peak period arrival prices at primary market for these crops from either the existing administrative records (ii) Conducting of cost of cultivation studies for important crops and their dissemination	Collection of data on production, prices for Horticulture and other crops, either from the existing administrative records or conduct studies to compile it.	Utilising the data for DDP

5(13)

Pooling of the Central and State Survey Data

	1st yr (2011-12)	2nd yr (2012-13)	3rd yr (2013-14)	4th yr (2014-15)	5th yr
As per existing plan	no work	(i) Data of past rounds, viz., 62nd-67th rd, except 63rd rd, to be completed with priority. Data of ensuing rounds to be entered in 4 NSS units itself by utilizing the service of DEO	(i) Data to be validated using DPD and/or customized software. (ii) Tables to be generated and compared with NSS central data.	(i) Survey data of respective NSSO rounds to be pooled; data to be compiled and report prepared.	(i) Use of pooled data on relevant parameters for compilation of DDP
Achieve-ment	no work	Data entry for 69th Rd completed. Ist phase validation also completed.			
revised plan	no work	Data entry and validation of current Rd (69th Rd)	(i) Validation and tabulation of current Rd (69th Rd) (ii) 67 & 68 Rd- Data entry by out sourcing, validation and (iii) 70 th Rd - Data entry by out sourcing/ inhouse, validation and tabulation inhouse.	(i) Survey data of respective NSSO Rd to be pooled, (ii) Report for respective Rds to be prepared.	(i) Use of pooled data on relevant parameters for

Providing Network Connectivities among Districts

	1st yr (2011-12)	2nd yr (2012-13)	3rd yr (2013-14)	4th yr (2014-15)	5th yr
As per existing plan	no work	(i) Assessment of the software & hardware requirements of districts for connectivity with State HQ in a Wide Area Network. (ii) Identification of existing hardware & software available in Districts, integrating their use.	(iii) Operationalization of the connectivity of the State headquarters and all the district offices.	(i) Development of applications suitable for transmission of district level data to state and national agencies for sharing of data.	
Achieve-ment	no work	Work of connecting all DPSO with State Hq. through email started and completed in last qurter, Necessary telephone, broadband connection provided.			
Revised plan	no work	Work of connecting all DPSO with State Hq. started through Broad band, WAN and Natcard etc.and completed in last qurter,	(i) Assessment of software & hardware requirements of 18 districts for connectivity with the State headquarters in a Wide Area Network. (ii) Identification of existing hardware & software available in Districts, integrating their use.	(i) Development of applications suitable for transmission of district level data to state and national agencies for sharing of data.	

Training of existing and newly recruitedec staff for capacity building:-					
	1st yr (2011-12)	2nd yr (2012-13)	3rd yr (2013-14)	4th yr (2014-15)	5th yr
As per existing plan	No work	on an average, **12 training programmes** are proposed to train newly recruited and existing staff of DES & Line department.	on an average, **12 training programmes** are proposed to train newly recruited and existing staff of DES & Line department.	on an average, **12 training programmes** are proposed to train newly recruited and existing staff of DES & Line department.	on an average, **12 training programmes** are proposed to train newly recruited and existing staff of DES & Line department.
Achieve-ment	No work	(i) 4 Training cum workshops programme for newly recruited staff under 13 FC on business register (30/1-2/2/13) organised. (ii) 1 training organised for all DPSO on budget analysis/local bodies account. (iii) March 2013 regional level training sheduled for BLI's on coding, software entry and account formation. (iv) In June, July 2012 Districtwise Practical training provided to BLI's and ASO at DES.			
Revised plan	No work	Training on BR, Local Bodies to BLI/ newly recruited STAFF and DPSO	24 scheme specific workshops are proposed for existing staff of DES & Line Department. 4- four wks training programme for existing ASO, Asst Director, Depty Director to be organized for DES & Line department. CSO/ NASA will be involved 2- one wk training programme in IIM for existing Asst Director, Depty Director to be organized for DES &	12 work specific workshops are proposed for existing staff of DES & Line Department. 4- four wks training programme for existing ASO, Asst Director, Depty Director to be organized for DES & Line department. CSO/ NASA will be involved	12 work specific workshops are proposed for existing staff of DES & Line Department. 4- four wks training programme for existing ASO, Asst Director, Depty Director to be organized for DES & Line department. CSO/ NASA will be involved

MANPOWER REQUIREMENT: EXISTING PROPOSAL VIS-A-VIS REVISED PROPOSAL

Activity	State Level			District level		Total
	Consultant	Programmer	Investigators/DEO	Supervisors	Investigators/DEO	
Business Register	1	0	2	**(18+9)** 27	(41+9) 50	**80**
Local Bodies	1	0	2	0	(23+9) 32	**35**
Farm Activity	0	0	2	0	(23+9) 32	**34**
Pooling NSS data	0	1	5	0	4	**10**
Network	0	1	0	0	0	**1**
Total	2	2	11	27	[illegible]	[illegible]

REVISED PROPOSAL

Activity	State Level			District level		Total
	Consultant	Programmer	Investigators/DEO	Supervisors	Investigators/DEO	
Business Register	1	2	2	**27**	80	**112**
Local Bodies	1	2	2	27	77	**109**
Farm Activity	1	1	4	0	32	**38**
Pooling NSS data	2	2	12	0	4	**20**
Network	0	3	0	0	0	**3**
Total	5	10	20	54	193	282

Rates of salary is as per CG rates. consultant/programmer @ 20000, Supvsr @ 17000, Invst/DEO @ 10000 PM.

Increase Mover existing proposal - 76.25%

We have to complete the work within 2.5 yrs instead of 4 yrs. Considering this requirement alongwith acute shortage of DES staff more contract staff are proposed.

BUSINESS REGISTER: To complete the BUSINESS REGISTER Of organised as well as unorganised sector and to undertake detailed survey within 2 years perios (@ 10 units per month) and simultanoesly entering the same in computer we proposed all togather 112 field staff and 2 DEO and 27 supervisors not originally envisaged. Further, 2 programmers also proposed so that suitable software can be developed/ used properly.

LOCAL BODIES: To complete around 4000 local bodies account within 8 months perios (@ 10 units per month) and simultanoesly entering the same in computer we proposed 50 field staff and 27 DEO and 27 supervisors not originally envisaged. Further, 2 programmers also proposed so that suitable software can be developed/ used properly.

Improving Farm Activity data: 1 programmer, 1 consultant (preferably retired agiculture professor) and 2 DEO are additinally provisioned in the revised plan. Further cost of cultivaqtion studies are also proposed to be awarded to agriculture university in consulation with DES, Min of Agri, GOI.

NSS Pooling: To complete data entry of previous rds, it is proposed to scrunise by engaging consultants with NSS experience and then outsource for data entry after which validation, updation and tabulation will be inhouse. For current and future rounds all exercise proposed to be inhouse. In view of entire vacancies in DES DEO, more DEO on contract basis wanted.

Net working and connectivity: Besides Net working, training, developing in house software, web site maintence and trouble shooting of various CSO softwares 3 programmers is proposed. No programmer is available in the role of DES presently.

DES, CHHATTISGARH: Proposed Expenditure Plan for 13th Finance Commission

Rs. in Thousand

S.N.	schemes	Components	I st 2011-12	II nd 2012-13	III rd 2013-14	IV th 2014-15	Total 2011-15	As per approved plan
1	Preparation of Business Register	Salary	0	2020	13390	16068	31478	41958
		Travelling Allowances	0	130	2600	2600	5330	6846
		Computer & peripherals	0	1225	500	100	1825	1350
		Furnitures (Computer tables and chairs etc)	0	382	300	0	682	540
		Stationery, printing of formats/schedules and report publication, manual translation	0	400	2000	800	3200	11600
		Miscellaneous (incl out nsourcing)	0	400	2000	800	3200	3360
		Training/Orientation programs	0	100	800	800	1700	1580
		Software development & digitisation	0		500	300	800	600
		Xerox/Photocopier	0		2700	0	2700	2700
		Total	0	4657	24790	21468	50915	70534
2	Strengthening of Local Bodies	Salary		1540	13090	15708	30338	15984
		Travelling Allowances		130	2500	2500	5130	3066
		Computer with necessary peripherals		1064	1500	800	3364	1755
		Furnitures (Computer tables and chairs etc)		381	300	0	681	540
		Stationery, printing of formats/schedules and report publication, manual translation		400	1500	300	2200	5800
		Miscellaneous (incl outsourcing)		400	1000	1000	2400	3360
		Training/Orientation programme		220	1360	1200	2780	2760
		Software development and digitisation		100	300	300	700	450
		Total	0	4235	21550	21808	47593	33715
3	Improvement of data in respect of Form	Salary		802	4800	4800	10402	15096
		Travelling Allowances			816	816	1632	2856
		Computer with necessary peripherals			1400	200	1600	0
		Furnitures (Computer tables and chairs etc)			20	0	20	0
		Stationery, printing of formats/schedules and report publication, manual translation		35	500	300	835	6200
		Miscellaneous(Cost of cultivation studies by outsourcing)		4	6000	1500	7504	3360
		Training/Orientation programme			600	300	900	2400
		Software development and digitisation		0	550	100	650	650
		Total	0	841	14686	8016	23543	30562

S.N.	schemes	Components	I st	II nd	III rd	IV th	Total	As per approved plan
			2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2011-15	
4	Pooling of Central and State sample	Salary		206	2400	2880	5486	4551
		Travelling Allowances		0	100	100	200	210
		Computer and line printer		160	600	200	960	260
		Furnitures (Computer tables and chairs etc)			50	0	50	80
		Stationery, printing of formats/schedules and report publication, manual translation		0	1000	300	1300	2000
		Miscellaneous(inclu outsourcing/Hiring Consultant)			1350	700	2050	1807
		Training/Orientation programme			200	200	400	400
		Software development and digitisation			600	200	800	1200
		Total	0	366	6300	4580	11246	10508
5	Providing network connectivity among	Salary			720	720	1440	888
		Travelling Allowances			136	200	336	210
		Computer with necessary peripherals & software			1000	100	1100	50
		Furnitures (Computer tables and chairs etc)			20	0	20	0
		Stationery, printing of formats/schedules and report publication, manual translation			500	108	608	120
		Miscellaneous			200	200	400	80
		Assessment & providing network connectivity & maintanenence, website			2500	300	2800	1800
		Expences on tel, & Fax internet connectivity		95	1200	500	1795	3540
		Total	0	95	6276	2128	8499	6688
6	Trg	Intensive/Refresher training programs for all technical staf (existing + new) including line dept.	0	0	15400	5000	20400	10000
		Total	0	0	15400	5000	20400	10000
		Grand Total	0	10194	89002	63000	162196	162007
		Salary	**0**	**4568**	**34400**	**40176**	**79144**	**78477**
		Travelling Allowances	**0**	**260**	**6152**	**6216**	**12628**	**13188**
		Computer & peripherals	**0**	**2449**	**5000**	**1400**	**8849**	**3415**
		Furnitures (Computer tables and chairs etc)	**0**	**763**	**690**	**0**	**1413**	**1160**
		Stationery, printing of formats/schedules and report publication, manual translation	**0**	**835**	**5500**	**1808**	**8143**	**25720**
		Miscellaneous	**0**	**804**	**10550**	**4200**	**15554**	**11967**
		Training/Orientation programs	**0**	**320**	**18360**	**7500**	**26180**	**17140**
		Software development & digitisation	**0**	**100**	**4450**	**1200**	**5750**	**4700**
		Expences on tel, & Fax internet connectivity	**0**	**95**	**1200**	**500**	**1795**	**3540**
		Xerox/Photocopier	**0**	**0**	**2700**	**0**	**2700**	**2700**
		TOTAL	**0**	**10194**	**89002**	**63000**	**162196**	**162007**
		CSO training			**9000**	**9000**	**18000**	**18000**
		total		**10194**	**98002**	**72000**	**180196**	

1. वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2013–14 की प्रस्तुति :–

वर्ष 2010–15 हेतु तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार गठित उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति की दिनांक 06.10.2012 को आयोजित बैठक में राशि रू. 10.00 करोड़ की कार्ययोजना अनुमोदित की गई । वर्ष 2013–14 में कार्ययोजना अनुरूप निम्नांकित मद में व्यय किया जाना है :–

(राशि रू.लाख में)

स.क.	विवरण	राशि
1.	निर्माण कार्य	156.00
2.	हार्डवेयर	80.00
3.	मैनपॉवर	98.88
4.	स्टेशनरी	30.00
5.	स्केनिंग	20.00
6.	लेखा प्रशिक्षण शालाओं का उन्नयन	120.00
7.	सॉफ्टवेयर	11.50
	योग:–	516.38

1. निर्माण कार्य :– वर्ष 2013–14 में संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन रायपुर एवं अंबिकापुर में नियंत्रण कक्ष निर्माण के लिये राशि रू. 8.00 लाख प्रति कार्यालय के मान से राशि रू. 16.00 लाख एवं समस्त कोषालयों में सर्वर कक्ष के उन्नयन हेतु राशि रू. 140.00 लाख की कार्ययोजना परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है ।

2. मशीन एवं उपकरण :– अनुमोदित कार्य योजना के अनुरूप संचालनालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों में सर्वर, स्कैनर, यूपीएस, जनरेटर इत्यादि हेतु राशि रू. 80.00 लाख की कार्ययोजना परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है ।

3. मानव संसाधन :– पेंशनर डाटाबेस तथा कर्मचारियों का डाटाबेस तैयार करने हेतु 06 प्रोग्रामर, 02 सहायक प्रोग्रामर तथा 64 डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों की बाह्य एजेन्सी से नियुक्ति हेतु अनुमति संबंधी प्रस्ताव पर कार्यवाही वित्त विभाग से अपेक्षित है । इस पर वर्ष 2013–14 में राशि रू 98.88 लाख अनुमानित व्यय परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है ।

4. स्टेशनरी एवं अन्य :– पेंशनरों के फोटो पहचान पत्र कार्य हेतु राशि रू. 30.00 लाख तथा जी.पी.ओ. एवं पी.पी.ओ. के स्केनिंग पर 20 लाख की कार्ययोजना सम्मिलित है ।

5. लेखा प्रशिक्षण शालाओ का उन्नयन :– लेखा संबंधी तथा अन्य कार्यो में कम्प्यूटर तथा अन्य तकनीक के प्रयोग संबंधी क्षमता विकास तथा नवीन परिदृश्य में कार्य करने की योग्यता विकसित करने संबंधी प्रशिक्षण कर्मचारियो को प्रदाय

करने के लिये राज्य की चार लेखा प्रशिक्षण शालाओं के उन्नयन हेतु सिविल वर्क व कम्प्यूटर एवं मशीन उपकरण क्रय हेतु प्रति शाला राशि रू 30.00 लाख की कार्ययोजना तैयार की गई है । चार शालाओं हेतु इस पर राशि रू 120.00 लाख का व्यय किया जाना है ।

6. सॉफ्टवेयर :– सॉफ्टवेयर हेतु राशि रू. 11.50 लाख व्यय संभावित है ।

2. गत बैठक में लिये गये निर्णय का पालन प्रतिवेदन :–

तेरहवें वित्त आयोग अनुशंसा अनुदान हेतु दिनांक 06.10.2012 को आयोजित राज्य उच्च अधिकार अनुश्रवण समिति की द्वित्तीय बैठक में रू. 10.00 करोड़ की विभागीय कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया एवं राशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया । वित्त विभाग से प्राप्त स्वीकृति के आधार पर वर्ष 2012–13 में लगभग राशि रू.126.00 लाख का हार्डवेयर क्रय किया गया है । इसकी भुगतान प्रकियाधीन है । पूर्व में व्यय राशि रू. 77.16 लाख का प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 19.02.2013 को प्रेषित किया गया है । हार्डवेयर क्रय से संबंधित भुगतान होने पर व्यय की गयी राशि का प्रमाण पत्र भी उपलब्ध करा दिया जायेगा ।

कार्य योजना में सम्मिलित निर्माण कार्य के लिये मानक प्राक्कलन मंगाये जाने हेतु कलेक्टर, संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन तथा कोषालयों अधिकारियों को कमशः पत्र कमांक/13वें वित्त आयोग/2013/260 दिनांक 25.04.2013, पत्र कमांक/13वें वित्त आयोग/2013/244 दिनांक 23.04.2013, पत्र कमांक/13वें वित्त आयोग/2013/243 दिनांक 23.04.2013 द्वारा लेख किया गया है ।

3. वर्ष 2010–11, 2011–12 एवं 2012–13 में प्राप्त अनुदान के विरूद्व भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा :– निर्धारित प्रपत्र में संलग्न है ।

परिशिष्ट 'अ'

Civil Work (Data Center)		
S.No.	Office	Cost in lakh
1	2	3
1	J D Ambikapur	8
2	J D Raipur	8
3	District Treasury Korla	5
4	District Treasury Surguja	5
5	District Treasury Jashpur	5
6	District Treasury Raigarh	5
7	District Treasury Korba	5
8	District Treasury Janjgir-Champa	5
9	District Treasury Bilaspur	5
10	District Treasury Kawardha	5
11	District Treasury Rajnandgaon	5
12	District Treasury Durg	5
13	District Treasury Raipur	5
14	District Treasury Mahasamund	5
15	District Treasury Dhamtari	5
16	District Treasury Kanker	5
17	District Treasury Baster	5
18	District Treasury Dantewada	5
19	District Treasury Narainpur	5
20	District Treasury Bijapur	5
21	District Treasury Baloda Bazar	5
22	District Treasury Geriyaband	5
23	District Treasury Mungeli	5
24	District Treasury Balod	5
25	District Treasury Bemetara	5
26	District Treasury Kondagaon	5
27	District Treasury Sukma	5
28	District Treasury Balrampur	5
29	District Treasury Surajpur	5
30	City Treasury Raipur	5
	TOTAL	156

(25)

-MAY-2013

পরিশিষ্ট -'ক'

Expenditure for Hardware				
S No.	Items	Numbers	Price	Total
1	Servers	18	120000	2160000
2	Server for DTAP	2	500000	1000000
3	Scanner	27	3038	82026
4	UPS 2Kva	36	55873	2011428
5	UPS 5Kva	25	118931	2973275
6	UPS 10Kva	3	210681	632043
7	GENERATORS	6	81000	324000
	TOTAL	117		9182772

परिशिष्ट 'स'

Manpower				
S. No.	Office	Programmer	Asstt. Pro.	DEO
1	2	3	4	5
1	DTAP	2	2	
2	JD Raipur	1		2
3	JD Bilaspur	1		2
4	JD Jagdalpur	1		2
5	JD Ambikapur	1		2
5	District Treasury Korla			2
7	District Treasury Surguja			2
8	District Treasury Jashpur			2
9	District Treasury Raigarh			2
10	District Treasury Korba			2
11	District Treasury Janjgir-Champa			2
12	District Treasury Bilaspur			2
13	District Treasury Kawardha			2
14	District Treasury Rajnandgaon			2
15	District Treasury Durg			2
16	District Treasury Raipur			2
17	District Treasury Mahasamund			2
18	District Treasury Dhamtari			2
19	District Treasury Kanker			2
20	District Treasury Baster			2
21	District Treasury Dantewada			2
22	District Treasury Narainpur			2
23	District Treasury Bijapur			2
24	District Treasury Baloda Bazar			2
25	District Treasury Gariyaband			2
26	District Treasury Mungeli			2
27	District Treasury Balod			2
28	District Treasury Bemetara			2
29	District Treasury Kondagaon			2
30	District Treasury Sukma			2
31	District Treasury Balrampur			2
32	District Treasury Surajpur			2
33	City Treasury Raipur			
34	DRC Bilaspur			
	TOTAL	6	2	64

Expenditure for Manpower								
S. No.	Office	Numbers			Salary/month			Salary for 24 Month
		Prog.	Asst.Pro.	DEO	Prog.	Asst.Pro.	DEO	
		3	4	5	6	7	8	9
1	2	2	2		25000	17000		2016000
1	DTAP	4		8				4320000
2	J D Office			56			10000	13440000
3	District Treasury							19776000
	Total	6	2	64				

वर्ष 2013–14 में संभावित व्यय रू 98.88 लाख

(30)

परिशिष्ट -04

परिशिष्ट –"एक"

तेरहवें वित्त आयोग वर्ष 2013-14 अन्तर्गत प्राप्त होने वाले कुल प्रावधानित अनुदान राशि का विवरण

(राशि ₹ करोड में)

वर्ष	सामान्य मूल अनुदान	विशेष क्षेत्र मूल अनुदान	सामान्य परफारमेन्स अनुदान	विशेष क्षेत्र परफारमेन्स अनुदान	योग
1	2	3	4	5	6
2013-14	249.80	21.10	170.70	21.10	**462.70**

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार वर्ष 2013–14 में राज्य को सामान्य मूल अनुदान रूपये 249.80 करोड़, विशेष क्षेत्र मूल अनुदान रूपये 21.10 करोड़, सामान्य परफारमेन्स अनुदान रूपये 170.70 करोड़ एवं विशेष क्षेत्र परफारमेन्स अनुदान रुपये 21.10 करोड़, कुल रुपये 462.70 प्रावधानित है। उक्त प्रावधानित अनुदान प्राप्त करने के लिए वित्त आयोग की निम्नानुसार आवश्यक शर्तो का पालन अनिवार्यतः किया जायेगा –

1- पंचायतों में "प्रिया साफ्ट" साफ्टवेयर में लेखा संधारण की कार्यवाही निरन्तर किया जाना आवश्यक है। भारत सरकार एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियमित समीक्षा की जा रही है।

2- प्रदेश के मुख्य बजट में पंचायती राज संस्थाओं के लिए पृथक से अनुपूरक बजट बनाया गया है, अतः त्रिस्तरीय पंचायतों के लेखों के अंकेक्षण का कार्य करने हेतु स्थानीय संपरीक्षा विभाग के साथ–साथ भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक भी अधिकृत है।

3- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखों के अंकेक्षण कार्य सम्पादन के समय गत वर्ष के लेखो का संशोधित 08 डाटा फार्मेट में जानकारी उपलब्ध कराना होगा।

(31)

4- स्थानीय निकाय के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों में कार्यरत कर्मचारियों का डाटाबेस निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन, रायपुर को उपलब्ध कराना होगा।

5 तेरहवें वित्त आयोग अन्तर्गत प्राप्त अनुदान राशि निर्धारित समयावधि में पंचायतों के बैक खाते में अन्तरण किये जाने की कार्यवाही जिला पंचायतों द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

6- चौदहवें वित्त आयोग के गठन होने के फलस्वरुप प्रारंभिक कार्यवाही प्रारंभ हो चुकी है, अतः केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की विभिन्न निर्धारित प्रपत्रों में चाही गई जानकारियॉ समय सीमा में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

योजनान्तर्गत सामान्य परफारमेन्स अनुदान एवं विशेष क्षेत्र परफारमेन्स अनुदान वर्ष 2013–14 में प्राप्त होना प्रावधानित है। अतः त्रिस्तरीय पंचायतों को प्राप्त अनुदान राशि अनुसार वार्षिक कार्ययोजना तैयार कर निर्धारित मदवार व्यय किया जाय। जिससे भारत सरकार द्वारा दोनों परफारमेन्स अनुदान राज्य शासन को शत–प्रतिशत प्रदाय किया जायेगा।

संयुक्त संचालक
पंचायत संचालनालय
छत्तीसगढ़, रायपुर

(32)

परिशिष्ट–"दो"

तेरहवें वित्त आयोग अन्तर्गत
सामान्य मूल अनुदान एवं विशेष क्षेत्र मूल अनुदान
की वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2013-14
(जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत)

प्रति जिला पंचायत औसत राशि ₹ 50 लाख से 01 करोड़
प्रति जनपद पंचायत औसत राशि ₹ 30 से 50 लाख

(राशि ₹ करोड में)

क्र.	मद	सामान्य मूल अनुदान	विशेष क्षेत्र मूल अनुदान	प्रतिशत
1	2	3	4	5
1	स्वास्थ्य	22.50	2.20	30%
2	पेयजल	11.25	0.95	15%
3	शिक्षा	7.50	0.65	10%
4	पोषण	3.75	0.30	5%
5	विकास एवं अधोसंरचना कार्य	22.50	1.80	30%
6	समाज कल्याण	1.50	0.20	2%
7	विद्युत/सौर ऊर्जा	2.25	0.20	3%
8	प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट निधि	3.00	-	4%
9	प्राकृतिक आपदाओं हेतु सुरक्षित निधि	0.75	-	1%
योग :–		**75.00**	**6.30**	**100%**

विशेष क्षेत्र मूल अनुदान के लिये वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2013–14 में प्रस्तावित राशि का व्यय केवल अनुसूचित क्षेत्रों के विकास कार्यो में ही किया जायेगा।

संयुक्त संचालक
पंचायत संचालनालय
छत्तीसगढ़, रायपुर

(33)

परिशिष्ट–"तीन"

तेरहवें वित्त आयोग अन्तर्गत सामान्य मूल अनुदान एवं विशेष क्षेत्र मूल अनुदान हेतु जिला/जनपद पंचायतों के लिये वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2013-14

जिला/जनपद पंचायत स्तर पर प्रावधानित राशि ₹ 81.30 करोड़

तेरहवें वित्त आयोग वर्ष 2013–14 की अनुशंसा अनुदान अन्तर्गत जिला पंचायतों को प्राप्त होने वाले 10% आबंटन एवं जनपद पंचायतों को प्राप्त होने वाले 20% आबंटन से स्वीकृत किये जाने वाले कार्यों की कार्ययोजना निम्नानुसार है –

1- स्वास्थ्य :–

जिला एवं जनपद पंचायत को कुल प्राप्त आबंटन के 30% निधि से जिला/जनपद पचांयत के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों में बिजली/पानी/शौचालय सुविधा/ बीमार व्यक्तियों के परिजनों के रुकने हेतु अतिरिक्त कक्ष निर्माण/भोजन शेड निर्माण कार्य/ पेयजल शुद्धिकरण उपकरण/दवाई। सार्वजनिक स्थलों/भवनों में शौचालय मूत्रालय निर्माण/हाईस्कूल स्तर तक शालाओं में शौचालय सुविधा/पेयजल सुविधा/ पेयजल शुद्धिकरण उपकरण/पूर्व में उपलब्ध अधोसंरचनाओं का रखरखाव।

2- पेयजल :–

जिला एवं जनपद पंचायत को कुल प्राप्त आबंटन के 15% निधि से जिला/जनपद पचांयत के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामों में हैण्ड पम्पों के प्लेटफार्म्स का निर्माण/मरम्मत, हैण्ड पम्प के सुधार की सामान्य सामग्री, सोख्ता गड्ढों, वाटर रिचार्ज संरचना का निर्माण कार्य। पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के पाइप, ग्राम में जल निकासी हेतु नाली निर्माण, नलयुक्त प्लास्टिक टंकी लगाकर सार्वजनिक स्थलों पर पेयजल उपलब्ध कराना, ग्रामों में नलजल सुविधा बढ़ाने के कार्य/हैण्डपंपों में विद्युत पंप लगाना/पाईप लाईन बढ़ाने एवं लगाने के कार्य। बाजारों में पेयजल सुविधा। निस्तार के जल स्त्रोतों का संधारण/छोटे नालों में कम लागत की पानी रोकने वाली संरचना का निर्माण/पूर्व में संचालित योजनाओं का संधारण।

3- शिक्षा :–

जिला एवं जनपद पंचायत को कुल प्राप्त आबंटन के 10% निधि से जिला/जनपद पचांयत के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामों में प्राथमिक/माध्यमिक शाला भवनों का संधारण कार्य/ कन्या शालाओं/आश्रम शालाओं में अतिरिक्त कक्ष एवं आहाता निर्माण/प्राथमिक/ माध्यमिक शाला छात्रावास भवनों में आवश्यक रखरखाव एवं भवन मरम्मत/बिजली पानी की सुविधा/वाचनालय की पुस्तकें/छात्रावास में भोजन बनाने, खाने के उपकरण/ छात्रावासियों के लिए के खेल उपकरण/कम लागत के छोटे खेल मैदान निर्माण/शालाओं में शिक्षण सामग्री/छात्रावास/प्रयोग शालाओं में उपकरण। विशेष क्षेत्र के लिए उपलब्ध निधि से अजजा वर्ग के प्राथमिक शालाओं के बच्चों को पठन पाठन सामग्री का प्रदाय भी किया जा सकेगा।

(34)

4- पोषण :–

जिला एवं जनपद पंचायत को कुल प्राप्त आबंटन के 5% निधि से जिला/जनपद पचांयत के ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी भवन में किचन शेड निर्माण/ बच्चों के बैठने/खेलने के उपकरण, प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में किचन शेड निर्माण/ बच्चो के लिये खाना बनाने, परोसने, बैठने की सामग्री एवं मध्यान्ह भोजन बनाने हेतु रसोई गैस उपकरण (जहॉ रिफिलिंग की सुविधा हो) का प्रदाय। ऑगनबाड़ी केन्द्रों का वार्षिक रखरखाव एवं सुधार, विद्युतीकरण, शुद्ध पेयजल रखने एवं पेयजल शुद्धिकरण के उपकरणों का प्रदाय। पूर्व से संचालित योजनाओं के रखरखाव का कार्य।

5- अधोसंरचना निर्माण/विकास कार्य :–

जिला एवं जनपद पंचायत को कुल प्राप्त आबंटन के 30% निधि से जिला/जनपद पंचायत के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/जिला पंचायत से पूर्व निर्मित परिसम्पत्तियों का रखरखाव/उचित मूल्य की दुकान सह गोदाम निर्माण/खाद्य भण्डारण गोदाम/आंगनबाड़ी भवन बाउण्ड्रीवॉल सहित/सी.सी.रोडनिर्माण/नाली निर्माण, पंचायत मुख्यालय सें आश्रित ग्रामों को जोड़ने वाले प्रथम श्रेणी मार्ग निर्माण एवं उसमें छोटे पुल–पुलिया का निर्माण/सामुदायिक भवन निर्माण/यात्री प्रतीक्षालय, रंगमंच, चबूतरा, मंगल भवन, कांजी हाऊस भवन, तालाबों में घाट निर्माण, व्यावसायिक परिसर एवं दुकान निर्माण, चीरघर के पास शेड निर्माण/मुक्तिधाम के पास शेड निर्माण, लघु वनोपज संग्रहण के छोटे गोदाम (तेन्दूपत्ता नही)। बाजारों में नाली निर्माण, बाजार शेड निर्माण/बाजार स्थल में कॉक्रीटीकरण/आमजनों के बैठने के लिए शेड निर्माण/पेयजल सुविधा उपलब्धता के कार्य ।

6- समाज कल्याण :–

जिला एवं जनपद पंचायत को कुल प्राप्त आबंटन के 2% निधि से जिला/जनपद पचांयत के ग्रामीण क्षेत्रों में निराश्रितों/निःशक्तों के लिए रहवासी सुविधा, निशक्त छात्र–छात्राओं के लिये उपकरण/कृत्रिम अंग, शैक्षणिक सामग्री, रैम्प का निर्माण। पूर्व से संचालित योजनाओं का रखरखाव।

7- सौर ऊर्जा/विद्युत ऊर्जा :–

जिला एवं जनपद पंचायत को कुल प्राप्त आबंटन के 3% निधि से जिला/जनपद पचांयत के ग्रामीण क्षेत्रों में अनु.जाति/अनुसूचित जन जन जाति के लघु/सीमांत कृषकों के पंपों ऊर्जाकरण हेतु लाईन विस्तार कार्य, गलियों/ सार्वजनिक स्थलों में प्रकाश व्यवस्था, सोलर लाईट लगाना। पूर्व से योजनाओं में निर्मित अस्तियों का रखरखाव।

8- प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट :–

जिला पंचायत को कुल आबंटित निधि में से 4% राशि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए व्यय की जा सकेगी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हेतु आरक्षित निधि का 1% राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के व्यय के लिए जिला पंचायत में सुरक्षित रखा जायेगा। जिला पंचायत शेष 3% निधि का उपयोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिये व्यय कर सकेंगी।

जनपद पंचायत को आबंटित निधि से जनपद पंचायतें 4% प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट पर व्यय कर सकेंगी।

प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मद अन्तर्गत कार्यालयीन व्यय, कम्प्यूटर प्रिन्टर कय, कम्प्यूटर प्रिन्टर सामग्री, फर्नीचर, 13वें वित्त आयोग के कार्यालयीन कार्य/डाटा एन्ट्री के लिए मानदेय व्यय, लेखा संधारण पर आऊट सोर्सिग व्यय, भ्रमण व्यय, प्रशिक्षण व्यय, परामर्शदात्री सेवाओं पर व्यय, लेखा संधारण व्यय, लेखाओं के कम्प्यूटराईजेशन पर किया जा सकेगा।

(35)

9- <u>प्राकृतिक आपदाओं हेतु सुरक्षित निधि</u> :–

जिला पंचायत/जनपद पंचायत को प्राप्त निधि की 1% राशि सुरक्षित निधि के रूप में जिला/जनपद पंचायत स्तर पर रखी जायेगी, जो पंचायत क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने बाढ, सूखा, बिजली गिरने, जंगली जानवरों द्वारा घायलों के प्रारंभिक उपचार, संक्रामक बीमारियों से रोकथाम के उपाय, आगजनी से प्रभावितों को तत्काल जीवनोपयोगी सामग्री उपलब्ध कराने/पुनर्वास के लिए आरक्षित होगी।

इस निधि का उपयोग जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं संबंधित जिला पंचायत के अध्यक्ष के परामर्श पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा किया जायेगा। वित्तीय वर्ष में इस प्रयोजनों में व्यय न होने पर आगामी वित्तीय वर्ष में सुरक्षित निधि का उपयोग अधोसंरचना विकास मद में किया जा सकेगा।

विशेष क्षेत्र मूल अनुदान अन्तर्गत प्राप्त अनुदान राशि का उपयोग उपरोक्त वर्णित कार्यो के लिये अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों के कार्यो पर निर्धारित प्रतिशत के अनुरूप किया जा सकेगा।

संयुक्त संचालक
पंचायत संचालनालय
छत्तीसगढ़, रायपुर

(36)

परिशिष्ट–''चार''

तेरहवें वित्त आयोग अन्तर्गत सामान्य मूल अनुदान एवं विशेष क्षेत्र मूल अनुदान हेतु ग्राम पंचायतों के लिये वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2013-14

ग्राम पंचायत स्तर पर प्रावधानित राशि ₹ 189.60 करोड़

तेरहवें वित्त आयोग वर्ष 2013–14 की अनुशंसा अन्तर्गत राज्य को प्राप्त होने वाले कुल अनुदान का 70 प्रतिशत ग्राम पंचायत को आबंटित किया जायेगा। औसतन प्रति ग्राम पंचायत राशि रुपये 1.00 से 1.75 लाख अनुमानित प्राप्त होगा।

योजनांतर्गत ग्राम पंचायतें वार्षिक कार्ययोजना अनुसार ग्राम सभा के अनुमोदन से कार्य स्वीकृत कर सकेंगे।

योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्र के भीतर निम्नानुसार कार्यो को प्राथमिकता के आधार पर कार्ययोजना में सम्मिलित करेंगे –

अ. ग्रामों में स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उपायों को संबंधी कार्यो को सर्वाधिक प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत कर पूर्ण किया जाना।

ब. ग्रामों में ऐसे कार्य लिये जाये जो कम लागत के, शीघ्र पूर्ण कराये जाने वाले एवं ग्रामीणजनों को लाभ पहुँचाने वाले हों।

स. ग्राम पंचायतों द्वारा निम्नानुसार कार्य स्वीकृत किये जायेंगे –

1- ग्राम पंचायतों का लेखा संधारण एवं लेखाओं का कम्प्यूटराईजेशन :–

ग्राम पंचायतें वित्त आयोग से प्राप्त सामान्य अनुदान से प्राप्त निधि का अधिकतम 10% ग्राम पंचायतों का लेखा संधारण एवं लेखाओं का कम्प्यूटराईजेशन पर व्यय कर सकेंगी। इसमें 13वें वित्त आयोग के कार्यालयीन कार्य के लिए स्टेशनरी व्यय, पचांयतों के प्रिया साफ्ट में लेखा संधारण के लिए डाटा एन्ट्री के लिए व्यय, लेखाओं के कम्प्यूटराईजेशन, अन्य कार्यालयीन व्यय, कम्प्यूटर प्रिन्टर सामग्री, फर्नीचर, आदि पर व्यय किया जा सकेगा।

2- ग्रामों मे स्वच्छ वातावरण प्रदान करने वाले कार्य :–

सार्वजनिक स्थलों/भवनों में शौचालय, मूत्रालय निर्माण, बी.पी.एल. एवं ए.पी.एल. परिवार वाले घरों में शौचालय निर्माण, पेयजल शुद्धिकरण उपकरण, ओ.आर.एस. पैकेट जैसी जीवनरक्षक दवाई। शालाओं में शौचालय सुविधा/पेयजल सुविधा/पेयजल शुद्धिकरण उपकरण/पूर्व में उपलब्ध अधोसंरचनाओं का रखरखाव।

3- ग्रामों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने वाले कार्य :–

ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामों में हैण्ड पम्पों के प्लेटफार्म्स का निर्माण/मरम्मत, हैण्ड पम्प के सुधार की सामान्य सामग्री, सोख्ता गड्ढों, वाटर रिचार्ज संरचना का निर्माण कार्य। पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के पाईप, ग्राम में जल निकासी हेतु नाली निर्माण, नलयुक्त प्लास्टिक टंकी लगाकर सार्वजनिक स्थलों पर पेयजल उपलब्ध कराना, ग्रामों में नलजल सुविधा बढाने के कार्य/हैण्डपंपों में विद्युत पंप लगाना/पाईप लाईन बढ़ाने एवं लगाने के कार्य। बाजारों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना एवं लोगों के लिए छायादार स्थल का निर्माण। निस्तार के जल स्त्रोतों का संधारण। पूर्व में संचालित योजनाओं का संधारण।

(37)

4- ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को शिक्षण सुविधा बढाये जाने के उपाय :–

ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामों में प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं का वार्षिक संधारण कार्य प्राथमिक/माध्यमिक शाला आवश्यक रखरखाव एवं भवन मरम्मत/बिजली पानी की सुविधा/वाचनालय की पुस्तकें/मध्यान्ह भोजन बनाने हेतु उपकरण, खाना खाने हेतु बरतन/छात्रों के लिए खेल उपकरण, शालाओं में शिक्षण सामग्री/छात्राओं की शालाओं में उनके बैठने की व्यवस्था,आदि कार्य लिये जा सकते हैं। विशेष क्षेत्र के लिए उपलब्ध निधि से अजजा वर्ग के प्राथमिक शालाओं के बच्चों को पठन–पाठन सामग्री का प्रदाय भी किया जा सकेगा।

5- ग्रामीण क्षेत्र के 06 वर्ष तक के बच्चों के लिए पोषण :–

ग्रामीण क्षेत्रों की आंगनबाड़ी केन्द्र के भवन में किचन शेड निर्माण/बच्चों के बैठने/खेलने के उपकरण, बच्चो के लिये खाना बनाने, परोसने, बैठने की सामग्री का प्रदाय। ऑगनवाडी केन्द्रों का वार्षिक रखरखाव एवं सुधार, विद्युतीकरण, ऑगनवाडी में शुद्ध पेयजल रखने एवं पेयजल शुद्धिकरण के उपकरणों का प्रदाय। पूर्व से संचालित योजनाओं के रखरखाव का कार्य।

6- अधोसंरचना निर्माण/विकास कार्य :– ग्राम पंचायतों में पूर्व से निर्मित परिसिम्पत्तियों का रखरखाव/उचित मूल्य की दुकान सह गोदाम निर्माण/सी.सी.रोड निर्माण/नाली निर्माण, पंचायत मुख्यालय सें आश्रित ग्रामों को जोड़ने वाले मार्ग निर्माण एवं उसमें छोटे पुल–पुलिया का निर्माण यात्री प्रतीक्षालय, रंगमंच, चबूतरा, तालाबों में घाट निर्माण, बाजारों में नाली निर्माण, बाजार शेड निर्माण/बाजार स्थल में कॉक्रीटीकरण/ आमजनों के बैठने के लिए शेड निर्माण कार्य, ग्राम की गलियों में विद्युत लाईन विस्तार कार्य, गलियों/सार्वजनिक स्थलों में प्रकाश व्यवस्था, सोलर लाईट लगाना आदि कार्य लिये जा सकते हैं।

7- प्राकृतिक आपदाओं हेतु सुरक्षित निधि :– ग्राम पंचायतें उन्हें प्राप्त निधि में से अधिकतम रूपये 5000.00 (रूपये पॉच हजार मात्र) या अनुदान का पॉच प्रतिशत, ग्राम में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने, संक्रामक बीमारियों से रोकथाम के उपाय, प्रभावितों को तत्काल जीवनोपयोगी सामग्री/खाद्यान्न उपलब्ध कराने/अस्थायी आवास बनाने के लिए आरक्षित रखेंगी। निधि का उपयोग ग्राम में किसी परिवार में अन्य कारणों से भोजन की उपलब्धता न होने पर तत्काल भोजन की व्यवस्था करने हेतु भी किया जा सकेगा। निधि का उपयोग ग्राम पंचायत के सरपंच/उपसरपंच/सचिव के निर्णय अनुसार किया जायेगा। आगामी ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में इसके व्यय विवरण प्रस्तुत कर व्यय का अनुमोदन कराया जायेगा। वित्तीय वर्ष में इस प्रयोजनों में व्यय न होने पर आगामी वित्तीय वर्ष में सुरक्षित निधि का उपयोग विकास कार्यो में किया जा सकेगा।

सयुक्त संचालक
पंचायत संचालनालय
छत्तीसगढ़, रायपुर

(42)

परिशिष्ट - 05

छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण
सिविल लाईन्स, रायपुर (छ.ग.)

क्र. 318 /6986/RC-9/छगग्रासविअ/2013 रायपुर, दिनांक 07.01.2013

प्रति,

सुश्री शहला निगार,
संयुक्त सचिव,
छ0ग0 शासन, वित्त विभाग

विषय :– मांग संख्या – 48 (13वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान) के अंतर्गत वर्ष 2013–14 हेतु बजट प्रावधान करने विषयक।

संदर्भ :– छ0ग0 शासन, वित्त विभाग का पत्र क्रमांक 1059/एल–8–22/2010/ब–4/चार रायपुर, दिनांक 21.12.2012

उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्र द्वारा तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार वर्ष 2013–14 में Maintenance of Roads & Bridges के मद से (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पूर्ण एवं पांच वर्ष संधारण अवधि पश्चात) 200 सड़कों के संधारण हेतु प्रस्ताव रू. 95.99 करोड़ लागत के संलग्न प्रेषित है (सड़कवार सूची संलग्न)।

(सुधीर कुमार अग्रवाल)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण
सिविल लाईन्स, रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्र. 319 /6986/RC-9/छगग्रासविअ/2013 रायपुर, दिनांक 07.01.2013

प्रतिलिपिः–

अतिरिक्त मुख्य सचिव, छ0ग0 शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर उनके निर्देश दिनांक 24.12.2012 (T.L.) के अनुपालन में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण
सिविल लाईन्स, रायपुर (छ.ग.)

वित्तीय वर्ष 2013–14 तेरहवें वित्त आयोग अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर बजट हेतु जिलेवार प्रस्तावित कार्ययोजना का गोसवारा

(लंबाई कि.मी. में, राशि रू. लाख में)

स.क्र.	जिले का नाम	बजट हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना			रिमार्क
		सड़कों की संख्या	लंबाई	संधारण हेतु अनुमानित राशि	
1	2	3	4	5	6
1	धमतरी	20	51.50	515.00	
2	दुर्ग, बेमेतरा, बालोद	21	102.63	1184.28	
3	जशपुर	15	65.65	707.47	
4	कांकेर	25	39.69	974.60	
5	कवर्धा	17	67.43	820.38	
6	कोरबा	22	102.48	819.80	
7	कोरिया	13	52.61	480.42	
8	महासमुन्द	35	177.06	2036.19	
9	रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद	3	28.88	364.92	
10	राजनांदगांव	23	125.55	1506.60	
11	सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर	6	20.00	190.00	
योग		**200**	**833.48**	**9599.66**	

वित्तीय वर्ष 2013–14 तेरहवें वित्त आयोग अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर बजट हेतु प्रस्तावित सड़कवार एवं जिलेवार कार्ययोजना

(लंबाई कि.मी. मे, राशि रू. लाख में)

स.क्र.	सड़क का नाम	निर्मित लंबाई	संधारण हेतु आवश्यक अनुमानित राशि	PCI क्रमांक	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
जिला–धमतरी					
1	मेनरोड छिन्दभरी से बीजापुर	11.90	119.00	2	
2	डी.एन.बी. रोड से बिरनपुर	1.20	12.00	2	
3	कुकरेल से पथर्रीडीह	2.40	24.00	2	
4	कुकरेल से सिरौबखुर्द	2.06	20.60	2	
5	सम्बलपुर से बोड़रा	2.40	24.00	2	
6	रा.राजमार्ग 43 से सेहराडबरी	0.79	7.90	2	
7	शंकरदाह से डोड़की	0.76	7.60	2	
8	अमेठी से बंजारी	2.30	23.00	2	
9	दर्री से खरेंगा	0.60	6.00	2	
10	कण्डेल से नवागांव	3.32	33.20	2	
11	उड़ेना से झिरिया	2.76	27.60	2	
12	झिरिया से देवपुर	2.28	22.80	2	
13	सिवनीखुर्द से बारना	1.83	18.30	2	
14	सांकरा से पीपरछेड़ी	4.12	41.20	2	
15	बांगर से परसवानी	0.93	9.30	2	
16	संकरी से दर्रा	2.05	20.50	2	
17	कोंडापार से भरदा	1.32	13.20	2	
18	संकरी से रावणगुड़ा	3.65	36.50	2	

स.क्र.	सड़क का नाम	निर्मित लंबाई	संधारण हेतु आवश्यक अनुमानित राशि	PCI क्रमांक	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
37	टेमरी से खम्हरिया	5.07	50.40	2	
38	तिरैया से रावेली	2.72	27.06	2	
39	कठिया से पेण्ड्री	4.35	43.28	2	
40	रांका से कुरूद	4.30	42.79	2	
41	कुसमी से सुरहोली	4.90	48.76	2	
	योग (15 सड़कें)	62.81	624.82		
जिला–जशपुर					
42	जामटोली से पेरवानारा गंजियाडीह रोड	4.00	49.64	3	
43	मेंडरबहार से पण्डरीपानी	10.50	130.31	3	
44	सिंटोगा से जशपुर	6.65	82.53	3	
45	बासेन से बगीचा कांसाबेल रोड	3.30	33.00	3	
46	सेमरबहार से बेलवार बगीचा मार्ग	3.30	33.00	3	
47	जुरगुम से बगीचा कांसाबेल मार्ग	1.80	18.00	3	
48	जामपानी से एल – 42	2.40	24.00	3	
49	बडकाटोली एस.एच –14	4.50	45.00	3	
50	जुरूडाड से एस.एच. 14	3.00	30.00	3	
51	मझगांव से एस.एच. 14	2.00	20.00	3	
52	चेगझरिया से टी. 01	2.80	28.00	3	
53	नवाटोली से टी. 01	1.50	15.00	3	
54	गंझूटोली से टी. 01	5.50	55.00	3	
55	बरटोली से कांसाबेल	7.60	76.00	3	
56	नरियारडांड से कोगाबहरी	6.80	68.00	3	
	योग (15 सड़कें)	65.65	707.47		

स.क्र.	सड़क का नाम	निर्मित लंबाई	संधारण हेतु आवश्यक अनुमानित राशि	PCI क्रमांक	
1	2	3	4	5	6
77	बागडोगरी से करियापहर	2.5	25.00	3	
78	टी–011 से मर्रामपानी	2.00	20.00	3	
79	बादल से भनसुली	6.85	68.50	2	
80	बांसपारा कुरालठेमली से मासुलपानी जामगांव रोड	8.00	80.00	3	
81	पहरूपारा बादल से सुरही	5.50	55.00	3	
	योग (25 सड़के)	39.69	974.60		
जिला–कबीरधाम					
82	कोठार से चरडोंगरी	3.00	36.00	3	
83	रवेलीरोड से जेवड़नखुर्द	1.13	22.60	3	
84	बिजई से बारदी	7.00	84.00	3	
85	रवेलीरोड से जरती	3.55	42.60	3	
86	स.लोहारा से सहसपुर	8.70	104.40	3	
87	हथलेवा से अचानकपुर	2.20	26.40	3	
88	हथलेवा से सिंघनपुरी	3.00	36.00	3	
89	महराटोला से कुटकीपारा	1.70	20.40	3	
90	सूरजपूरा से पवनतरा	2.90	34.80	3	
91	मेनरोड से डोंगरिया	3.62	43.44	3	
92	पिरचाटोला से पेन्ड्रीतराई	1.40	16.80	3	
93	धनोरा से खोलचाकटोरी	3.10	37.20	3	
94	मेनरोड से टाटीकसा	11.228	134.74	3	

स.क्र.	सड़क का नाम	निर्मित लंबाई	संधारण हेतु आवश्यक अनुमानित राशि	PCI क्रमांक	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
115	सतरेंगा से बोड़ानाला व्हाया खैरभौना	4.10	32.80	2	
116	एतमा से छातापखना	4.41	35.28	2	
117	मोरगा से अरसिया	8.90	71.20	2	
118	मोरगा अरसिया मार्ग से खिरटी	1.60	12.80	2	
119	मोरगा से धजाक	4.27	34.16	2	
120	मदनपुर से गिध्दमुड़ी	8.85	70.80	2	
	योग (22 सड़कें)	102.48	819.80		
जिला–कोरिया					
121	टी–02 (किमी–08) से दुधनियाकला	4.50	45.00	2	
122	टी–02 (किमी–08) से कोटकताल	2.34	21.06	2	
123	मुरमा से पुटा व्हाया अंगा	4.50	40.50	2	
124	अंगथान से गणेशपुर	2.36	21.24	2	
125	टी–09 (छरछा) से बेसरझरिया	7.02	69.60	2	
126	अमका से भरदा	4.02	36.18	2	
127	अमका से बारी	2.49	19.92	2	
128	पोडी से मुगुम	10.11	90.99	2	
129	टी–03 (किमी–05) से पड़िता	5.04	45.36	2	
130	जूनापारा (स) से साहूपारा(स)	2.50	25.00	2	
131	अमका से छुरी	2.31	20.79	2	
132	टी–03 (किमी–05) से चिटकाहीपारा	2.52	24.48	2	
133	चिरमी से खंदौरा	2.90	20.30	2	
	योग (13 सड़कें)	52.61	480.42		

स.क्र.	सड़क का नाम	निर्मित लंबाई	संधारण हेतु आवश्यक अनुमानित राशि	PCI क्रमांक	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
191	खुज्जी से पांगरीकला	4.75	57.00	2	
192	सिंघोला से खुर्सीपार	16.50	198.00	2,3	
193	महराजपुर से बरेठटोला	9.50	114.00	2,3	
194	झितराटोला से शिकारीटोला	2.85	34.20	2	
	योग (23 सड़कें)	125.55	1506.60		
जिला–सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर					
195	रुनियाडीह डांडपारा से सरस्वतीपुर खास	2.50	23.75	3	
196	रामनगर धौरापारा–II से रामनगर दर्रीपारा	2.00	19.00	3	
197	बिश्रामपुर दतिमा मोड़ रोड से सोहागपुर (पार्ट–I U/G)	3.00	28.50	3	
198	बिश्रामपुर दतिमा मोड़ रोड से सोहागपुर (पार्ट–II N/C)	8.50	80.75	3	
199	बिश्रामपुर दतिमा मोड़ रोड से गांगीकोट जूनापारा	2.00	19.00	3	
200	खरसरा खास से खरसरा कराईपारा	2.00	19.00	3	
	योग (06 सड़कें)	20.00	190.00		
	महायोग (200 सड़कें)	833.47	9599.66		

स.क्र.	सड़क का नाम	निमित लंबाई	संधारण हेतु आवश्यक अनुमानित राशि	PCI क्रमांक	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
155	एन.एच.06 (टी.02) से जोरातराई	2.06	23.69	1	
156	टी.आर.10 कुम्हारीमुड़ा से बाधापाली	4.83	55.55	1	
157	मुढ़ीपार से जम्हर	6.00	69.00	1	
158	टी.08 से बारिकपाली	8.19	94.19	1	
159	देवरी से सलडीह	7.20	82.80	1	
160	जंघोरा से गिरना	15.68	180.32	1	
161	जंघोरा से मोहदा	9.00	103.50	1	
162	पिरदा से चेरगाडोडा	3.38	38.87	1	
163	सांकरा से झगरनडीह	15.48	178.02	1	
164	एन.एच.06 से जामड़ी	2.85	32.78	1	
165	टी.06 (अकोरी) से साल्हेझरिया	2.40	27.60	1	
166	टी.06 (बरोली) से केरामुडा	10.52	120.98	1	
167	एन.एच.06(बरबसपुर) से बरिहापाली	5.09	58.54	1	
168	एल.आर.066 (6किमी.) से इंदरपुर	10.00	115.00	1	
	योग (35 सड़के)	**177.06**	**2036.19**		
जिला–रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद					
169	मुड़गेलमाल से खोखमा	16.85	209.09	3	
170	घुमरापदर से मुड़गेलमाल	6.53	84.33	3	
171	नहरगांव से जी परसुली	5.50	71.50	2	
	योग (03 सड़के)	**28.88**	**364.92**		

(53)

परिशिष्ट–06

प्रपत्र – घ

13 वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रावधानित राशि अनुसार वित्त वर्ष 2013–14 के लिये अनुमोदित कार्यों हेतु मांग

(राशि करोड़ रू. मे)

S.No	Name of Project	Nagar Nigam	Nagar Palika	Nagar Panchayat	Total
1	**Solid Waste Management**	25.09	5.63	14.37	**45.09**
2	**Storm Water Drain**	21.63	5.12	2.43	**29.18**
3	**Water Supply**	10.86	10.78	7.77	**29.41**
4	**Sanitation and Other**	7.31	0.96	0.76	**9.03**
5	**Data Base/Data Center**	0.00	0.48	0.24	**0.72**
		64.89	**22.97**	**25.57**	**113.43**

संचालक
संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास
छत्तीसगढ़ रायपुर

परिशिष्ट-07

(60)

Shri Prashant lal

तेरहवें वित्त आयोग अंतर्गत वर्ष 2013–14 में प्रस्तावित निर्माण कार्यो की सूची

(1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन

कमांक	जिला	विकासखण्ड	कमांक	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	क्षेत्र का नाम
1	बीजापुर	भैरमगढ़	1	नेलसनार	आदिवासी क्षेत्र

(2) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन

कमांक	जिला	विकासखण्ड	कमांक	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	क्षेत्र का नाम
1	गरियाबंद	छुरा	1	खड़मा	आदिवासी क्षेत्र
2	सरगुजा	धौरपुर	2	रघुनाथपुर	आदिवासी क्षेत्र

(3) शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन

कमांक	जिला	विकासखण्ड	कमांक	शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	क्षेत्र का नाम
1	रायपुर	धरसींवा	1	रायपुर	सामान्य क्षेत्र
2	बिलासपुर	बिल्हा	2	बिलासपुर	सामान्य क्षेत्र
3	दुर्ग	दुर्ग	3	दुर्ग	सामान्य क्षेत्र
4	कांकेर	कांकेर	4	कांकेर	आदिवासी क्षेत्र

(4) शहरी सिविल डिस्पेंसरी भवन

कमांक	जिला	विकासखण्ड	कमांक	शहरी सिविल डिस्पेंसरी का नाम	क्षेत्र का नाम
1	रायगढ़	रायगढ़	1	रायगढ़	सामान्य क्षेत्र
2	रायपुर	धरसींवा	2	रायपुर	सामान्य क्षेत्र

संचालक
स्वास्थ्य सेवाएं
छत्तीसगढ़

तेरहवें वित्त आयोग अंतग्रत वर्ष 2013–14 में प्रस्तावित 40 उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण की सूची

क्रमांक	जिला	विकासखण्ड	क्रमांक	उप स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	क्षेत्र का नाम
1	राजनांदगांव	राजनांदगांव	1	जोशीलमती	सामान्य क्षेत्र
			2	पदुमतरा	सामान्य क्षेत्र
			3	रैवाडीह	सामान्य क्षेत्र
			4	तिलईखार	सामान्य क्षेत्र
			5	बघेरा	सामान्य क्षेत्र
		खैरागढ़	6	देवरी	सामान्य क्षेत्र
			7	पिपलाकछार	सामान्य क्षेत्र
			8	विक्रमपुर	सामान्य क्षेत्र
			9	दामड़ी	सामान्य क्षेत्र
			10	सर्रागांदी	सामान्य क्षेत्र
		डोंगरगांव	11	करमतरा	सामान्य क्षेत्र
			12	शिवपुरी	सामान्य क्षेत्र
2	दुर्ग	पाटन	13	करेला	सामान्य क्षेत्र
3	बालोद	गुण्डरदेही	14	तवेरा	सामान्य क्षेत्र
4	बिलासपुर	बिल्हा	15	करमा	सामान्य क्षेत्र
5	रायपुर	सिमगा	16	खपराडीह	विशेष घटक
6	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	17	लाहौद	विशेष घटक
			18	मरदा	विशेष घटक
7	रायगढ़	सारंगढ़	19	हरदी	विशेष घटक
8	मुंगेली	मुंगेली	20	टेमरी	विशेष घटक
9	गरियाबंद	मैनपुर	21	बोइरगांव	आदिवासी क्षेत्र
			22	कुचेंगाखुर्द	आदिवासी क्षेत्र
10	सूरजपुर	रामानुजनगर	23	कृष्णपुर	आदिवासी क्षेत्र
			24	पतरापाली	आदिवासी क्षेत्र
			25	बिशुनपुर	आदिवासी क्षेत्र
			26	पण्डरी	आदिवासी क्षेत्र
			27	कमलपुर	आदिवासी क्षेत्र
		प्रेमनगर	28	केदारपुर	आदिवासी क्षेत्र
			29	सलका	आदिवासी क्षेत्र
		सूरजपुर	30	पीढा	आदिवासी क्षेत्र
			31	गिरवरगंज	आदिवासी क्षेत्र
			32	झांकी	आदिवासी क्षेत्र
11	सरगुजा	धौरपुर	33	गेरसा	आदिवासी क्षेत्र
			34	डांडगांव	आदिवासी क्षेत्र
		मैनपाट	35	खड़गांव	आदिवासी क्षेत्र
			36	रोपाखार	आदिवासी क्षेत्र
		लखनपुर	37	लखनपुर	आदिवासी क्षेत्र
			38	रजपुरी	आदिवासी क्षेत्र
			39	सलका	आदिवासी क्षेत्र
			40	पुहपुटरा	आदिवासी क्षेत्र

विषय:-- तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर औषधालय भवनों के निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति बावत् वित्तीय वर्ष 2013–14।

पूर्व पृष्ठ से :-

स्वास्थ्य सेवाएं, 110–अस्पताल और औषधालय, 1303–वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसूचित जाति उपयोजना, 7416–तेरहवे वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त अनुदान # 97 निर्माण कार्य –001 भवन में राशि रू 14.39 लाख कुल राशि रू 287.80 लाख प्रावधानित है।

अतः वर्ष 2013–14 में भवन निर्माण हेतु औषधालयों की एकजाई सूची निम्नानुसार स्वीकृति हेतु प्रस्तावित है :-

क्र.	जिला	वि.ख. नाम	स.क्र.	औषधालय का नाम	क्षेत्र का नाम
1	रायपुर	धरसींवा	1	शासकीय आयुर्वेद औषधालय, कुम्हारी	सामान्य क्षेत्र
		धरसींवा	2	शासकीय आयुर्वेद औषधालय, निल्जा	सामान्य क्षेत्र
		धरसींवा	3	शासकीय आयुर्वेद औषधालय, तेन्दुआ	सामान्य क्षेत्र
		तिल्दा	4	शासकीय आयुर्वेद औषधालय, कनकी	सामान्य क्षेत्र
		तिल्दा	5	शासकीय आयुर्वेद औषधालय, खैरखूट	सामान्य क्षेत्र
		सिमगा	6	शासकीय आयुर्वेद औषधालय, मोहरा	सामान्य क्षेत्र
		सिमगा	7	शासकीय आयुर्वेद औषधालय, रावन	सामान्य क्षेत्र
		भाटापारा	8	शासकीय आयुर्वेद औषधालय, बिटकुली	सामान्य क्षेत्र
2	दुर्ग	दुर्ग	9	शासकीय आयुर्वेद औषधालय, बोरई	सामान्य क्षेत्र
		दुर्ग	10	शासकीय आयुर्वेद औषधालय, नगपुरा	सामान्य क्षेत्र
		पाटन	11	शासकीय आयुर्वेद औषधालय, तेलीगुण्डरा	सामान्य क्षेत्र
		धमधा	12	शासकीय आयुर्वेद औषधालय, पेण्ड्रावन	सामान्य क्षेत्र
		बालोद	13	शासकीय आयुर्वेद औषधालय, बालोद	सामान्य क्षेत्र
3	महासमुंद	पिथौरा	14	शासकीय आयुर्वेद औषधालय, घोंच	सामान्य क्षेत्र
		बसना	15	शासकीय आयुर्वेद औषधालय, तोषगांव	सामान्य क्षेत्र
4	राजनांदगांव	डोंगरगढ़	16	शासकीय आयुर्वेद औषधालय, तुमड़ीबोड़	सामान्य क्षेत्र
		चौकी	17	शासकीय आयुर्वेद औषधालय, बांधाबाजार	सामान्य क्षेत्र
5	जशपुर	जशपुर	18	शासकीय आयुर्वेद औषधालय जशपुर	अनसूचित जनजाति क्षेत्र
		जशपुर	19	शासकीय आयुर्वेद औषधालय इचकेला	अनसूचित जनजाति क्षेत्र
6	बिलासपुर	मस्तूरी	20	शासकीय होम्योपैथी औषधालय, मस्तूरी	अनसूचित जाति क्षेत्र

(66)

परिशिष्ट -08

Naya Raipur Development Authority

In Front of Mahanadi Dwar of Mantralaya Raipur (C.G.)

PROPOSAL FOR THE 13TH FINANCE COMMISSION GRANTS FOR NAYA RAIPUR UNDER CAPITAL DEVELOPMENT

ANNUAL WORK PLAN (2013-14)

1- Eco-friendly Development Projects:

A. Use of Non-conventional energy resources:

(I) It was proposed to establish 1.0 MW Solar Energy Plant on the roof of newly constructed State Secretariat Building to promote green energy concept in Naya Raipur. The project has been completed and 1.1 MW Solar Plant has been made functional on 05/04/2013 in Capitol-Complex near State Secretariat Building by CREDA, the nodal agency entrusted with development of renewal energy in the state.

(II) It is proposed to develop a Solar Energy Plant in the green belt of Naya Raipur to produce around 1.0 MW of Solar Power and to feed it in the electric grid. Approximately 5 acres of green belt area (in village Kuhera) in the master plan of Naya Raipur is being allotted for the purpose. The project will be implemented under PPP Model and to make the project economically / financially viable a **Viability Gap Funding** of Rs. 4.50 crores is estimated.

B. Conservation & Development of Water bodies:

(I) Development of RAKHI Lake:- The lake at the entry of Capital Complex in village Rakhi, is to be developed at an approximate cost of Rs. 25.00 crores. Around the lake, landscaping is also proposed to be done as a part of the project. The lake is to be enlarged and conserved. The approximate area of lake is 24.55 Ha. The Project is likely to be completed in June/July this year.

(II) It is proposed to conserve all the lakes presently in Naya Raipur area, however, out of these lakes the two major lakes namely the Sendh and Nawagoan lakes are being developed and conserved in the first phase to maintain and improve the Urban Ecology of Naya Raipur. The area of these lakes are as under;

a. Sendh lake - 33.16 Ha.
b. Nawagoan lake - 65.08 Ha.

The Two lakes namely the Sendh and Nawagaon lakes are being developed under 13th Finance Commission Grant. The project cost for the conservation and development of these lakes is approximately Rs. 30.00 crores.
The consultant for development and conservation of these lakes has already submitted stage-I estimate and work has been started. This year it is proposed to complete 30 % of earth work and structural work of the project.

C. Plantation and Development of City Park

(I) **Plantation around Lake-** Naya Raipur as per approved Master Plan will have 27% green area. It was proposed the plantation all around the lake as a part of landscape development and in the catchment under 13th Finance commission Grant. The approximately cost of which comes out to Rs. 5.0 crores. Project report for plantation along with nalla side has been prepared and it is proposed to complete 50 % of plantation work , earth work and fencing work this year.

(II) **Development of Central City Park-** This central park comprises of the 2.2 km long median on a 200 m ROW road which is the ceremonial boulevard leading to the Capital Complex. It also includes the central rotary of 75m radius. The area of the City Park is around 28.63 Ha. The approximate cost of the development of City Park would be around Rs. 25.00 crores. 25 % of earth and structural work has been completed. It is proposed to complete 40 % earth work and structural work and 25 % of landscaping work this year.

2- Buildings:

A. Housing for Government officers and employees

(I) Re-imbursement to C.G. Housing Board for Residential Houses being built by C.G. Housing Board

It is proposed to purchase 332 Residential Houses for Government employees from C.G. Housing Board at the cost of Rs. 42.20 crores. This amount is to be reimbursed to C.G. Housing Board. All 332 units of residential houses have been constructed and likely to be handed over to GAD for further allocation to Govt. servants
The details of residential houses are given below:-

Sl. No.	Types of Flats	Plinth area in Sq.M.	No. of Units	Unit cost in Lakhs	Estimated Cost in lakhs
1	G-Type Block				
	F 3A	107.52	36	24.83	893.88
	F 3B	101.48	48	24.34	1168.32
		Total	**84**		**2062.20**
2	H-Type Block				
	F 2A	69.79	36	14.60	525.60
		Total	**36**		**525.60**
3	I-Type Block				
		29.83	32	3.80	121.60
		45.72	108	7.98	861.84
		52.60	72	9.01	648.72
		Total	**212**		**1632.16**
		Grand Total	**332**		**4219.96**
				Or say	**4220.00**

(II) Construction of new Residential Houses- 316 units

316 new Residential Houses are to be constructed for the officers and employees of state Govt. in sector-17 and sector -18 at Naya Raipur. These Houses comprises of bungalows and flats as detailed below-

(a) In sector-18 it is proposed to construct 35 nos. of the "B"-type Bungalows/ Residential Houses for Honorable Ministers, Chief Secretary, Additional Chief Secretaries and Principal Secretary level officers and 35 nos. of "C"-type Bungalows/ Residential houses for Secretary level officers along with G+2 VIP Transit Hostel. The total cost for the same including site development would be ₹ 65.40 crores. The detailed project report and drawing is being prepared by PWD.

(b) In sector-17 it is proposed to construct 18 nos. of the "D"-type and 36 nos. of "E"-type Residential Houses and 96 units of "F"-type Block, 48 units of "G"-type Block and 48 units of "H"-type Block for Government officials and employees. The total cost for the same including site development would be ₹ 92.39 crores.

Sl.no.	Type of Flats	No. of houses	Proposed Agency
1.	"D"	18	CGHB
2.	"E"	36	CGHB
3.	"F"	96	CGHB
4.	"G"	48	CGHB
5.	"H"	48	CGHB
6.	Site Development		CGHB
Total		246	

The above cost does not include the cost of land. The above details are based on stage-I estimates submitted by CGHB and PWD to GAD, Chhattisgarh. CG housing Board has already started the construction of 246 houses and 50 % of structural work has been completed. It is proposed to complete 75 % of structural work, joinery, plumbing and electrical work this year. PWD is preparing Detailed Project Report for houses.

B. Office complex for State level Govt. offices

Apart from State Secretariat Building, a Head of Department Building is being constructed in Naya Raipur where 44 various Head of Departments offices were given office space. A few left Head of Departments offices are to be constructed in the office complex proposed in Naya Raipur. The area of office complex is approximately 50 Ha. The various office buildings proposed under 13th Finance Commission Grant are as detailed below-

Sl.no.	Name	Buildup area (in sq.m.)	Estimate cost (in crs.)
1.	PHQ	20800	45.00
2.	PWD	7500	16.50
3.	IRRIGATION	9500	21.00
4.	FOREST	17750	38.00
5.	Panchayat & Rural Development	7500	16.50
6.	Jail &Home Guard	4500	10.00
7.	SRD (Commercial Tax, Excise, Registration)	6000	13.50
8.	A composite building(for the various statutory bodies / Commission of the Government)	13500	30.00
9.	Paryavas Bhawan under Green Building concept (for HoDs under Housing & Environment Deptt.)	23000	35.00
10.	Development of the infrastructure		24.50

(70)

	of the office complex.		
Total			250 Cr.

The DPRs of all above said buildings have been prepared.

PHQ building – 30 % 0f structural work has been completed and 90 % of structural work and 25 % of joinery, plumbing and electrical work is likely to complete this year.

WRD building – It is proposed to complete basement foundation work this year.

Forest building - It is proposed to complete basement foundation work this year.

Prayawas building - It is proposed to complete basement foundation work this year.

Work of construction of SRD, P&RD, Jail& Home Guard and Ayog Bhawan is likely to start this year.

Development of infrastructure of the office complex has been started and 80% of road and sewerage works have been completed. It is proposed to complete 100 % of the road and sewerage works and 80% of electrical and other works this year.

Enclosure:- as per above

Chief Executive Officer
Naya Raipur Development Authority
Raipur

WORK PLAN OF 13th FINANCE COMMISSION GRANT TO POLICE DEPARTMENT FOR FINANCIAL YEAR 2013-14

(Amount in Rs. Lakh)

S.No.	District/Unit	Name of Work	Amount
1	Police Acadamy, Chandkhuri	Auditorium	200.00
		Residential Building for Gazzetted Officers	16.00
		Residential Building for Non-Gazzetted Officers - 06 Nos.	76.26
		Residential Building for Lower Sub-Ordinates (Head Constable/Constable) - 20 Nos	222.72
		Sub Total	**514.98**
2	CTJW College, Kanker	Auditorium	200.00
		Quarter Guard	90.70
		Residential Building for Non-Gazzetted Officers - 04 Nos.	50.84
		Residential Building for Lower Sub-Ordinates (Head Constable/Constable) - 20 Nos	148.48
		Boundary Wall	45.00
		Sub Total	**535.02**
		Total	**1050.00**

S.No.	District/Unit	Residential Quarters for Non-Gazetted Officers			Residential Quarters for Constables/Head Constables			Amount
		Nos.	Unit Cost (in Lakh)	Total Cost (in Lakh)	Nos.	Unit Cost (in Lakh)	Total Cost (in Lakh)	
3	Baloudabazar	16	12.71	203.36	96	9.28	890.88	1094.24
	Balod	20	12.71	254.20	96	9.28	890.88	1145.08
	Mungeli	16	12.71	203.36	84	9.28	779.52	982.88
	Bemetara	16	12.71	203.36	84	9.28	779.52	982.88
	Sukma	16	12.71	203.36	88	9.28	816.64	1020.00
	Kondagaon	16	12.71	203.36	88	9.28	816.64	1020.00
	TOTAL	**100**		**1271.00**	**536**		**4974.08**	**6245.08**
	GRAND TOTAL							**7295.08**
	Say Rs.							**7300.00**

(Rs. Seventy Three Crore only)

बिन्दु कमांक 01 **13 वें वित्त आयोग की योजना वर्ष 2013-14 के तहत वार्षिक कार्ययोजना में आंशिक संशोधन हेतु प्रस्ताव**

13 वें वित्त आयोग की योजना वर्ष 2013-14 के प्रावधानित राशि के कार्यों के लिए संशोधित कार्य योजना

13 वें वित्त आयोग की योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 हेतु राशि रूपये 3750.00 लाख मात्र का प्रावधान स्वीकृत किया गया है जिसमें जिला कोण्डागांव में 100 बंदी क्षमता वाली नवीन उप जेल निर्माण कार्य के लिए राशि रूपये 748.00 लाख भी शामिल है किन्तु शासन, गृह (जेल) विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, रायपुर का पत्र कमांक एफ 1-16/तीन-जेल/2013 रायपुर दिनांक 25.3.2013 द्वारा जिला कोण्डागांव में जिला जेल भवन के लिए लोक निर्माण विभाग के विभागीय मद मांग संख्या 67/4059(01) (051) 0101(8040) में राशि रूपये 12.38 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है । अत: जिला कोण्डागांव में जेल भवन निर्माण संबंधी प्रावधान को हटाकर उक्त प्रावधानित राशि से प्रदेश की 09 जेलों में ओव्हर काउडिंग की समस्या के निराकरण के लिए 20-20 बंदी क्षमता वाली कुल 33 अतिरिक्त बंदी बैरक्स का निर्माण कराया जाना है। 13वें वित्त आयोग की योजना वर्ष 2013-14 के तहत 04 कार्य किये जाने हेतु संशोधित प्रस्ताव निम्नानुसार है :-

क.	*कार्य*		अनुमानित लागत	*कुल राशि*
1	*2*		3	*4*
1.	**मरम्मत एवं जीर्णोद्धार**	ओव्हर काउडिंग की समस्या में कमी लाने के लिए 20-20 बंदी क्षमता वाली **कुल 78 नग** अतिरिक्त बैरक्स का निर्माण (महासमुन्द-5, कोरबा-6, रायगढ़-5, जांजगीर-5, बेमेतरा-6, बलौदाबाजार-8, पेण्ड्रारोड-3, कटघोरा-3 एवं मनेन्द्रगढ़ 4) एवं (जगदलपुर-5, अम्बिकापुर-4, रायगढ़-10, रामानुजगंज-2, कबीरधाम-3, सुकमा-3, नारायणपुर-2, सक्ती-2, बीजापुर-2)	78 बैरक्स, 312 नग शौचालय/ 312 स्नानागार प्रति 22.20 लाख	**1747.00 लाख**
		उपरोक्त 17 जेलों के लिए निर्मित होने वाले प्रति बैरक के साथ 4 शौचालय/4 स्नानागार		
2.	**नवीन उप जेल बलरामपुर का निर्माण**	जिला बलरामपुर में 100 बंदी क्षमता वाली 01 नवीन उप जेल का निर्माण कार्य	748.00 लाख	**748.00** लाख

(93)

3.	**शासकीस आवास निर्माण**	04 नग एफ टाईप आवास का निर्माण (बैकुण्ठपुर, महासमुन्द, कोरबा एवं रायगढ़ में 01-01 आवास का निर्माण)	**04 नग** एफ टाईप प्रति 12.00 लाख कुल रूपये **48.00 लाख**	**750.00 लाख**
		8 नग जी टाईप आवास का निर्माण (बैकुण्ठपुर-2, महासमुन्द-2, कोरबा-2, रायगढ़-2 एवं जांजगीर-2 में आवास का निर्माण)	8 नग जी टाईप प्रति 10.00 लाख कुल **80.00 लाख**	
		71 नग एच टाईप आवास का निर्माण (अम्बिकापुर-6 कांकेर-4, बैकुण्ठपुर-5, महासमुन्द-5, रायगढ़-6, जांजगीर-5, बेमेतरा-6, पेण्ड्रारोड-5, मनेन्द्रगढ़-6, रामानुजगंज-6 एवं सूरजपुर-17 आवास का निर्माण)	**71 नग** एच टाईप प्रति 6.00 लाख कुल **426.00 लाख**	
		03 नग जी टाईप एवं 28 नग एच टाईप आवास निर्माण (नवीन उप जेल बलरामपुर)	**196.00 लाख**	
4.	**पेयजल एवं स्वच्छता कार्य**	**अ.** 03 केन्द्रीय जेलों में ओव्हर हेड वाटर टैंक का निर्माण (रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर)	20.00 लाख प्रति जेल कुल **60.00 लाख**	**505.00 लाख**
		ब. 15 जेलों में 15 नग ओव्हर हेड वाटर टैंक का निर्माण (बैकुण्ठपुर, महासमुन्द, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर, कांकेर, राजनांदगांव, धमतरी, डोंगरगढ़, संजरीबालोद, बेमेतरा, बलौदाबाजार, पेण्ड्रारोड, कटघोरा एवं मनेन्द्रगढ़)	20.00 लाख प्रति कुल **300.00 लाख**	
		स. 02 केन्द्रीय जेलों (रायपुर, दुर्ग) में नाली (ड्रेनेज) निर्माण	12.50 लाख प्रति कुल **25.00 लाख**	
		द. 12 जेलों में नाली (ड्रेनेज) निर्माण (बैकुण्ठपुर, महासमुन्द, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर, राजनांदगांव, जशपुर, बेमेतरा, बलौदाबाजार, पेण्ड्रारोड, कटघोरा एवं मनेन्द्रगढ़)	5.00 लाख प्रति कुल **60.00 लाख**	
		इ. केन्द्रीय जेल बिलासपुर में नाली (ड्रेनेज) सेक्टर वाल एवं बंदियों हेतु शौचालय/स्नानागार का निर्माण	60.00 लाख प्रति कुल **60.00 लाख**	
			योग	**3750.00**

(34)

1. मरम्मत एवं जीर्णोद्धार :-

प्रदेश में वर्तमान में संचालित 25 जेलों की अधिकृत आवास क्षमता कुल 5950 बंदी की है जिसके विरूद्ध माह मार्च 2013 की स्थिति में कुल 15044 पुरूष/महिला बंदी निरूद्ध हैं । जेलवार बंदी निरूद्धता की जानकारी से स्पष्ट है कि प्रदेश की जेलों में अधिकृत क्षमता के तीगुने से भी ज्यादा बंदी परिरूद्ध है । **प्रदर्श 'अ' संलग्न**

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की विशेष दूत श्रीमती एस.जलजा द्वारा प्रदेश की जेलों का निरीक्षण किया गया था तथा ओव्हर काउडिंग की ओर विशेष ध्यान देकर अनुशंसा किया गया है कि प्रदेश की जेलों में ओव्हर काउडिंग की समस्या के निराकरण के लिए विशेष प्रयास किया जाये ।

जिला कोण्डागांव में 100 बंदी क्षमता वाली नवीन उप जेल निर्माण कार्य के लिए राशि रूपये 748.00 लाख भी शामिल है किन्तु शासन, गृह (जेल) विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, रायपुर का पत्र क्रमांक एफ 1-16/तीन- जेल/2013 रायपुर दिनांक 25.3.2013 द्वारा जिला कोण्डागांव में जिला जेल भवन के लिए लोक निर्माण विभाग के विभागीय मद मांग संख्या 67/4059(01) (051) 0101(8040) में राशि रूपये 12.38 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है । अत: जिला कोण्डागांव में जेल भवन निर्माण संबंधी प्रावधान को हटाकर उक्त प्रावधानित राशि रूप़ये 748.00 लाख से प्रदेश की अन्य 09 जेलों में ओव्हर काउडिंग की समस्या के निराकरण के लिए 20-20 बंदी क्षमता वाली कुल 33 नग अतिरिक्त बंदी बैरक्स का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है ।

छ.ग.राज्य की जिन जेलों में ओव्हर काउडिंग की समस्या ज्यादा है तथा जिन जेलों का विस्तारीकरण किया जा रहा है उनके समस्या में कमी लाने के लिए 20-20 बंदी क्षमता वाली कुल **78 नग** अतिरिक्त बंदी बैरक्स, 312 शौचालय/312 स्नानागार का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है जिस पर 22.20 लाख प्रति बैरक/शौचालय/स्नानागार के मान से कुल राशि रूपये **1747.00 लाख** का व्यय प्रावधानित है ।

2. 01 नवीन उप जेलों का निर्माण :-

प्रदेश में वर्तमान में कुल 29 जेलें हैं जिनमें से 27 जेलें कार्यरत एवं 02 उप जेल सुरक्षा कारणों से बंद है । जैसा कि उपर उल्लेखित है कि जेलों की अधिकृत आवास क्षमता कुल 5950 बंदी की है जिसके विरूद्ध माह फरवरी 2013 की स्थिति में कुल 14777 पुरूष/महिला बंदी निरूद्ध है । इस समस्या के निराकरण के लिए प्रदेश की नवनिर्मित जिला बलरामपुर में 100 बंदी क्षमता वाली 01 नवीन उप जेल का निर्माण किया जाना भी आवश्यक है । जिला बलरामपुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में है । ऐसे स्थान पर जेलें होने से नक्सली अपराधों के साथ-साथ साधारण अपराधों में नियंत्रण रखे जाने में आसानी होगी तथा जिले के बंदियों को अन्य जिले की दूरस्थ जेलों में भेजे जाने की समस्या से भी निजात मिल सकेगी ।

उपरोक्त प्रस्तावित 01 नवीन उप जेल की अधिकृत आवास क्षमता 100 बंदियों की होगी । उक्त जेलों में प्रशासनिक कार्यालय, 20-20 बंदी क्षमता वाले 04 पुरूष बैरक, 20 बंदी क्षमता वाला महिला बैरक/खण्ड, किचन, अस्पताल भवन, सेल, अष्टकोण, शौचालय, स्नानागार,

(95)

गार्डरूम, भण्डार गृह, आर्मोररी, चारों ओर 01-01 वाच टावर, मुलाकात कक्ष, वर्कशेड आदि के निर्माण कार्य शामिल है जिस पर राशि रूपये 748.00 लाख का व्यय होना है ।

3. शासकीय आवास निर्माण :-

प्रदेश की जेलों हेतु राज्य शासन द्वारा कुल 2227 पद स्वीकृत है जिसके विरूद्ध 1002 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत है । जेल विभाग में कुल 1225 पद रिक्त है जिनके पूर्ति की कार्यवाही शीघ्र ही प्रारंभ होने वाली है । छत्तीसगढ़ जेल मैन्युअल के **नियम 266** के अनुसार जेलों में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को जेल परिसर में ही निवास कराना अनिवार्य है, जिसके लिए उन्हें जेल परिसर में आवास उपलब्ध कराना विभाग का प्रमुख दायित्व है । प्रदेश की जेलों में स्वीकृत सेट-अप के विरूद्ध उपलब्ध आवासगृहों की संख्या लगभग 533 है, आवास की कमी के कारण जेल सुरक्षा कर्मचारियों को जेल परिसर से बाहर दूरस्थ स्थानों में किराये से रहना पड़ता है, जिससे आकस्मिक परिस्थिति में उन्हे तत्काल गेट पर बुलाना संभव नही हो पाता है परिणामस्वरूप जेल की सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होती है, साथ ही संबंधित अधिकारियो/कर्मचारियों को भी असुविधा का सामना करना पड़ता है ।

आज के परिवेश में जबकि जेल विभाग विभिन्न प्रकार की समस्याओं जैसे नक्सली समस्या, ओव्हर क्राडडिंग आदि का सामना कर रहा है जिससे विभाग के समक्ष चुनौतियाँ बढ़ी है, ऐसी स्थिति में उक्त चुनौतियों से निपटने हेतु अमले का दिमागी एवं शारीरिक तौर पर चुस्त-दुरूस्त एवं संतुलित रहना आवश्यक है। अधिकारियों/कर्मचारियों को शासकीय आवास उपलब्ध हो जाने से उन्हें बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है तथा वह पूरी निष्ठा एवं लगन से अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन हेतु प्रेरित होता है । जिला कोण्डागांव में नवीन जिला जेल संबंधी निर्माण कार्य के लिए शासन, गृह (जेल) विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, रायपुर द्वारा लोक निर्माण विभाग के विभागीय मद मांग संख्या 67/4059(01) (051) 0101(8040) में राशि रूपये 12.38 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है । अत: नवीन जेल भवन एवं आवास निर्माण संबंधी प्रांवधान को हटाकर उक्त प्रावधानित राशि 197.00 लाख से प्रदेश की अन्य जेलों में अधिकारी/कर्मचारी आवास निर्माण कार्य को जोड़ा जाना प्रस्तावित है । पूर्व में प्रस्तावित है ।

प्रदेश की 12 जेलों के लिए छ.ग.शासन द्वारा स्वीकृत सेट-अप के मान से अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु विभिन्न श्रेणी के कुल **114** नग आवासीय भवन बनाया जाना अतिआवश्यक है जिसके लिए राशि **750.00** लाख के कार्य प्रस्तावित है ।

4. पेयजल एवं स्वच्छता हेतु निर्माण :-

प्रदेश में वर्तमान में कुल 29 जेलें है जिनमें से 27 कार्यरत हैं, 02 उप जेलें सुरक्षा कारणों से अस्थाई रूप से बंद हैं । प्रदेश की 27 कार्यरत जेलों में कुल 14616 बंदी (माह जनवरी 2013) निरूद्ध है । जेलों में निरूद्ध बंदियों को स्वस्थ, चुस्त-दुरूस्त रखने तथा सभी आवश्यक मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी जेल विभाग की है । जेलों में बंदियों को साफ एवं स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराये जाने हेतु गंदे पानी के निकासी के लिए पर्याप्त नालियों का होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक जल संग्रहण हेतु ओव्हर हेड टैक का होना भी आवश्यक है ।

प्रदेश की जेलों में ओव्हर हेड टैक नहीं होने के कारण जल संग्रहण में परेशानी होती है बंदियों के नहाने धोने तथा दैनिक निस्तारी के लिए भी पर्याप्त जल संग्रहण तथा दैनिक निस्तारी के गंदे पानी के निकासी के लिए नालियों की उचित व्यवस्था की जाना है । इसी अनुक्रम में प्रदेश की 19 जेलों में ओव्हर हेड टैक निर्माण कार्य तथा 14 जेलों में नाली निर्माण हेतु कुल राशि रूपये 505.00 लाख के कार्य प्रस्तावित है ।

बिन्दु कमांक 02 — 13वें वित्त आयोग की योजना वर्ष 2011-12 एवं 2012 -13 की बचत राशि से कार्य कराए जाने का प्रस्ताव

अ. 13 वें वित्त आयोग की योजना वर्ष 2011-12 के प्रावधानित/प्रशासकीय स्वीकृति के पश्चात् शेष बची राशि के कार्यो का अनुमोदन

क.	प्रस्ताव भेजने का पत्र कमांक/दिनांक	कार्य का विवरण	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि
1	पत्र कमांक 2180 दिनांक 15.3.2013	उप जेल बलौदाबाजार में 01 नग डबल स्टोरी बंदी बैरक्स का निर्माण	43.00
2	2488 दिनांक 25.3.2013	जिला जेल दन्तेवाड़ा की पिछले हिस्से की दीवार की ऊँचाई में वृद्धि, जिला जेल रायगढ़ के मुख्य दीवार का विस्तारीकरण, उप जेल रामानुजगंज में पक्की सड़क निर्माण, मुख्य दीवार की मरम्मत एवं पाकशाला शेड का निर्माण एवं उप जेल कटघोरा के बाहरी परिसर में बाउण्ड्रीवाल, बंदी शौचालय/स्नानागार का निर्माण	474.41 लाख

ब. 13 वें वित्त आयोग की योजना वर्ष 2012-13 के प्रावधानित/प्रशासकीय स्वीकृति एवं बचत राशि के कार्यो का अनुमोदन

क.	प्रस्ताव भेजने का पत्र कमांक/दिनांक	कार्य का विवरण	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि
1	पत्र कमांक 7269 दिनांक 6.10.2012	04 जेलों (जशपुर, धमतरी, जांजगीर, बलौदाबाजार) के मुख्य दीवार का विस्तारीकरण (21 फीट ऊँची एवं 160-180 मीटर लंबी दीवार का निर्माण)	504.00 लाख
2	2488 दिनांक 25.3.2013	उप जेल बीजापुर के जेल परिसर में 4	70.50 लाख

(97)

		नग सशस्त्र बल बैरक्स, किचन ब्लाक, शौचालय/स्नानागार निर्माण	
3	2488 दिनांक 25.3.2013	नवीन जिला जेल दन्तेवाड़ा हेतु प्रशासकीय रूप से स्वीकृत 10 बंदी बैरक्स को केन्द्रीय जेल जगदलपुर में निर्मित कराए जाने हेतु	जिला जेल दन्तेवाड़ा में निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त

स. 13 वें वित्त आयोग की योजना वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के प्रावधानित /प्रशासकीय स्वीकृति के पश्चात् शेष बची राशि के कार्यो का अनुमोदन

1	वर्ष 2011-12	700 नग शौचालय, 55 नग पानी टंकी, 55 नग नहाने हेतु चबूतरा महिला बंदियों हेतु 45 नग शौचालय/45 नग स्नानागार	72.83 लाख
2	वर्ष 2012-13		180.18 लाख
		योग	**253.01 लाख**

2. गत वर्ष की बैठक का कार्यवाही विवरण

गत वर्ष के बैठक के कार्यवाही विवरण अनुसार वर्ष 2011-12 में राशि रूपये 3750.00 लाख के स्वीकृत कार्य एवं वर्ष 2012-13 में राशि रूपये 3750.00 लाख के विवरण सहित **प्रदर्श 'ब'** में संलग्न है ।

3. **वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में प्राप्त अनुदान के** विरूद्ध निर्माण एजेंसियों को सौपी गई राशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा हेतु जानकारी निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत है । **प्रदर्श 'स' संलग्न**

(गिरिधारी नायक)
अति.महानिदेशक
जेल एवं सुधारात्मक सेवांए
छत्तीसगढ़ रायपुर

परिशिष्ट – 19

SCHEME FOR PRESERVATION OF HERITAGE

PROPOSAL FOR XIIITH FINANCE COMMISSION

YEAR 2013-2014

DIRECTORATE OF CULTURE AND ARCHAEOLOGY

DEPARTMENT OF CULTURE
GOVERNMENT OF CHHATTISGARH, RAIPUR

Directorate of Culture and Archaeology
Govt. of Chhattisgarh

ABSTRACT

Proposal for XIII[th] Finance Commission
Scheme for Preservation of Heritage
Year 2013-14

S. NO.	PARTICULARS	Prop. Amount In Lac Rs.
I	CONSERVATION WORK OF MONUMENTS	710.00
II	CHEMICAL CONSERVATION OF MONUMENTS & ANTIQUITIES	25.00
III	ARCHAEOLOGICAL MUSEUM	305.00
IV	SURVEY & EXPLORATION	10.00
V	WORKSHOP/SEMINAR ON CONSERVATION AND PRESERVATION OF HERITAGE.	30.00
VI	TRAINING FOR HERITAGE PRESERVATION	8.00
VII	EQUIPMENTS	8.00
VIII	HONORARIUM	4.00
IX	DOCUMENTATION, PUBLICATION & EXHIBITION	25.00
	Grand Total	**1125.00**

15/5/13

(112)

Proposal for XIII[th] Finance Commission
Scheme for Preservation of Heritage
Year 2013-14

I. CONSERVATION WORK OF MONUMENTS

S. No.	Monuments / Sites	Place, District	Prop. Amount in Lacs Rs.
1	Megalithic Monument	Karkabhat, Balod	50.00
2	Megalithic Monument	Karhibhadar, Balod	50.00
3	Megalithic Monument	Dhanora, Balod	50.00
4	Megalithic Monument	Kuliya, Balod	50.00
5	Megalithic Monument	Mujgahan, Balod	50.00
6	Kapileshwer Temple	Balod, Balod	50.00
7	Brick Temple Groups	Garhdhanora, Baster	50.00
8	Shiv temple	Ghumadapal, Baster	50.00
9	Distroyed Temple near School building	Dipadih, Balrampur	10.00
10	Distroyed Temple near Rani talab	Dipadih, Balrampur	50.00
11	Devi temple,Chherakadeur	Devtikara, Sarguja	50.00
12	Chitawari devi Temple	Dhobni, Balodabazar	50.00
13	Mauli devi Temple	Tarponga, Balodabazar	50.00
14	Temple Groups Samat sarna	Dipadih, Balrampur	100.00
Total			**710.00**

(113)

Proposal for XIII[th] Finance Commission
Scheme for Preservation of Heritage
Year 2013-14

II. CHEMICAL CONSERVATION OF MONUMENTS & ANTIQUITIES

S. No.	Monuments & Antiquities	Place, District	Prop. Amount In Lac Rs.
1	Shiv Temple	Sahaspur, Durg	5.00
2	Bajrang Bali Temple	Sahaspur, Durg	4.00
3	Temple Groups Samat sarna	Dipadih, Balrampur	10.00
4	Shiv & chaturbhuji Temple	Dhamdha, Durg	3.00
5	Chherki Mahal Temple	Bhoramdev, Kabirdham	3.00
Total			**25.00**

(114)

Proposal for XIIIth Finance Commission
Scheme for Preservation of Heritage
Year 2013-14

III. ARCHAEOLOGICAL MUSEUM

S. No.	Particulars	Prop. Amount In Lac Rs.
01	• Renovation and upgradation museums say, Purchase of Equipment for Museum Maintenance, Preservation of Antiquities, Display work, Security equipments, Storage etc.	
	1. Mahant Ghasidas Memorial Museum, Raipur	50.00
	2. Archaeology Mumsuem, Sirpur, Mahasamund	100.00
	3. Archaeological Museum, Ambikapur,	55.00
	4. District Archaeological Museum, Korba	100.00
Total		**305.00**

E.E. 15/5/13

(115)

Proposal for XIII[th] Finance Commission
Scheme for Preservation of Heritage
Year 2013-14

IV. SURVEY & EXPLORATION

S. No.	Particulars	Prop. Amount In Lac Rs.
01	• River Valley Survey (Origin to confluence in Chhattisgarh) • Special Area, Thematic Survey. • Village to village archaeological survey of Chhattisgarh (Bilaspur, Raipur, Jagdalpur. Ambikapur, etc.)	10.00
	Total	**10.00**

E.E.

15/5/13

(116)

Proposal for XIII[th] Finance Commission
Scheme for Preservation of Heritage
Year 2013-14

V. WORKSHOP/SEMINAR ON CONSERVATION AND PRESERVATION OF HERITAGE.

S. No.	Particulars	Prop. Amount In Lac Rs.
01	1) International Seminar / Workshop on Archaeology & Heritage. 2) National and State Level Seminar / Workshop on Archaeology & Heritage. 3) Presentation and Shows Based on the Heritage of Chhattisgarh.	30.00
Total		**30.00**

15/5/13

PROPOSAL FOR XIII[TH] FINANCE COMMISSION
SCHEME FOR PRESERVATION OF HERITAGE
YEAR 2013-14

VI. TRAINING FOR HERITAGE PRESERVATION

S. No.	Particulars	Prop. Amount In Lac Rs.
01	• Training of Tourist Guides. • Training of Practical aspects of Museum methods. • Field Training of ancient sites for students / amateurs.	8.00
Total		**8.00**

15/5/13

(119)

PROPOSAL FOR XIII[TH] FINANCE COMMISSION
SCHEME FOR PRESERVATION OF HERITAGE
YEAR 2013-14

VII. EQUIPMENT

S. No.	Particulars	Prop. Amount In Lac Rs.
01	• Equipments for Conservation, Preservation, Photography Laboratory i.e. - Furniture, Scientific Equipments, Computer, Scanner, Photocopy Machine etc. • Vehicle hire/fuel charges etc.	8.00
Total		**8.00**

(19)

PROPOSAL FOR XIII[TH] FINANCE COMMISSION
SCHEME FOR PRESERVATION OF HERITAGE
YEAR 2013-14

VIII. HONORARIUM

S. No.	Particulars	Prop. Amount In Lac Rs.
01	For Different Subjects and Technical Expert's Honorarium	4.00
Total		**4.00**

15/5/13

(120)

PROPOSAL FOR XIII[TH] FINANCE COMMISSION
SCHEME FOR PRESERVATION OF HERITAGE
YEAR 2013-14

IX. DOCUMENTATION, PUBLICATION & EXHIBITION

S. No.	Particulars	Prop. Amount In Lac Rs.
01	Publication & Documentation of Heritage Brochure, Guide Books of Monuments & Museums, Previous Excavation and Survey Reports etc. and Exhibition Based on Heritage.	25.00
Total		**25.00**

15/5/13

द्वितीय चरण वर्ष 2012-13 में प्रस्तावित कार्य :–

1. आवासीय क्वार्टर :–		
एच-टाईप 01 – 8 यूनिट	–	रूपये 78,64,000
जी-टाईप –10 यूनिट	–	रूपये 1,11,28,000
एफ-टाईप 01 – 5 यूनिट	–	रूपये 1,16,38,000
आई-टाईप 06 नग	–	रूपये 22,50,000
2. वाहन शेड निर्माण	–	रूपये 8,48,000
3. ड्रेन एण्ड रोड आवासीय भवन तक	–	रूपये 1,50,00,000
4. मुख्य भवन एवं आवासीय भवन के मध्य बाउन्ड्रीवाल निर्माण कार्य	–	रूपये 1,13,20,000
5. छात्रावास किचन का विस्तार	–	रूपये 10,00,000
6. नरेगा एवं स्कूल के बच्चों, विद्यार्थियों के सहयोग से में लैण्ड स्केपिंग एवं वृक्षारोपण कार्य		
7. फर्नीचर व्यवस्था	–	रूपये 89,52,000
कुल योग	–	**रूपये 7,00,00,000**

तृतीय चरण वर्ष 2013-14 में प्रस्तावित कार्य

1. लोक निर्माण विभाग द्वारा आवासीय क्वार्टर हेतु		
सी-टाईप 02 ब्लाक-02 यूनिट	–	रूपये 1,40,43,000
डी-टाईप 02 ब्लाक-02 यूनिट	–	रूपये 82,49,000
ई-टाईप 01 ब्लाक-04 यूनिट	–	रूपये 1,40,43,000
2. स्ट्रीट लाईट व्यवस्था एवं वातानुकूलित मशीनों की व्यवस्था	–	रूपये 1,00,00,000
3. विभिन्न पहुंच मार्गों का निर्माण	–	रूपये 1,36,65,000
4. फर्नीचर व्यवस्था	–	रूपये 1,00,00,000
कुल योग	–	**रूपये 7,00,00,000**

चतुर्थ चरण वर्ष 2014-15 में प्रस्तावित कार्य

1. लोक निर्माण विभाग द्वारा आवासीय क्वार्टर हेतु		
जी-टाईप 02 ब्लाक-02 यूनिट	–	रूपये 2,00,00,000
2. वृक्षारोपण रखरखाव	–	रूपये 50,00,000
3. सेटेलाईट बिल्डिंग कार्य	–	रूपये 1,00,00,000

परिशिष्ट—अ

परिशिष्ट-१५

(129)

FOREST DEPARTMENT
13TH FINANCE COMMISSION
WORK PLAN FOR 2013-14

1. Forests & Wild life

Chhattisgarh has a total forest area of 59772 Sq. Km, which is 44.2% of the total Geographical area of the State. The State has the 3rd largest forest cover in the country. Due to ever increasing biotic pressure, 30% of the forests are in degraded state. Bamboo forests are spread over 11000 Sq Km., of which 50% are degraded and unproductive.

There are 2 National Parks, 8 Sanctuaries, 3 Tiger Reserve & 1 Biosphere Reserve constituted for protection and development of wild life. The area covered under these Protected Areas is about 16% of the total forest area of the state. Indrawati National Park, Sitanadi - Udanti and Achanakmar Sanctuaries have been included in the Project Tiger.

2. Forest and forest dwellers

Of the 19744 villages in the State, 11185 villages are situated within the 5 km. periphery of the forests. Forest dwellers are mostly tribals, whose population is 32% of the total population of the state. Areas within and in the vicinity of forests are mostly underdeveloped, because of their geographically disadvantageous location. Their economy is mostly dependant on forests. Forests provide about 650 lakh man-days of employment directly to people in the most remote areas of the State.

Forest generates about Rs. 350 crore as revenue annually from the sale of timber and bamboos. Forests are very rich in Minor Forest Produces. Forest dwellers earn about ₹ 580 crore through employments generated from the collection and sale of minor forest produces. As per the Govt. policy, people are allowed to collect fallen fuel wood free of cost, for their domestic use. About Rs. 300 crore worth of fuel wood is collected by people from forest annually. People get about Rs. 200 crore worth of grasses and fodder from forests as per facilities provided under the grazing rules. As per the Nistar Policy, people living within 5 kms of the boundary of the forests are provided poles, bamboos and fuel wood at concessional rates. Basods and Pan Bareza families are provided royalty free bamboos from depots. Concessions provided under Nistar Policy annually are worth Rs. 50 crore. Thus, the total direct contribution of forest towards the economy of forest dwellers is Rs. 1430 crores. This itself signifies the importance of forests in the state economy.

3. Forest Management

Forests are managed as per the provisions of working plans approved by GOI. There are 11000 officers & Staff engaged in protection and management of forests. As per the forest policy of the state, co-operation of people is being taken for protection, development and management of forests. So far 7887 Joint Forest Management committees have been formed in the state.

4. Departmental Budget and additional financial requirement

Budgetary provision in the state plan for forestry sector during 2012-13 is Rs. 434 crores which includes Rs. 102.78 crores as 13th Finance Commission Grant also. Despite the fact that the State is having 44% of forest area, the budget allocation to the forestry sector in the state plan is about 2-2.5%, which is not enough, to carry out all the forestry operations prescribed in the working plan and to undertake developmental and other works. In light of the vast forest area, requirement for forest management, forest development and dependence of people on forests for livelihood, additional financial provisions in the forestry sector are needed.

5. Proposal Under 13th finance commission for year 2013-14

It is proposed to give priority to works, which are important for the protection & development of forests, but for which, sufficient budgetary provisions under the State Plan/CSP and CSS are not available. As per the guidelines by MOEF, the emphasis has also been given to the works related with economic development of people in and around the forest areas especially in the areas affected by the activities of Left Wing Extremists (LWE). The following schemes have been proposed: -

(1) Installation of generators at important offices :

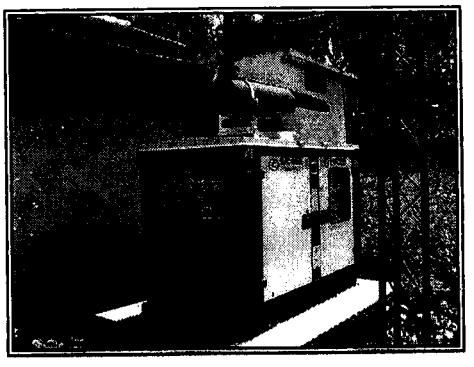

Disruption in electric power supply in the left wing extremists affected areas and other remote areas has become a regular phenomena. It not only hampers the official works but also effect the flow of information to higher offices. Rs. 200 lakhs are proposed for installation of generators in DFO/SDO/Range officer office. It is proposed to provide generators for nurseries and other important places in the division.

(2) Community organization and capacity building:

Community organization and capacity building among the local people in forest areas is going to be an important work. The existing local institution such as JFMCs, SHGs and PRIs are to be strengthened by suitable capacity building programmes and new institution will also to be created. Good NGOs will also be engaged for assisting the forestry administration and local people in community organization, capacity building and marketing of local products. Rs. 70 lakhs is proposed to be incurred for this purpose in the year 2013-14 for the training and capacity building in 400 JFMC.

(3) Improving rural infrastructure in Forest Villages -

Irrigation facilities, electricity and roads are an important component of rural infrastructure. Improving irrigation potential not only helps in enhancing the local agriculture productivity but, at the same time, improves the under ground water table. Thus, for improving rural infrastructure, creation of water bodies for irrigation and other purposes and installation of solar light at suitable forest villages, construction of approach road, culverts, school building, drinking water facilities and development of agriculture etc are being included in the project. Rs. 800 lakhs are proposed for improving rural infrastructure of forest village in the year 2013-14.

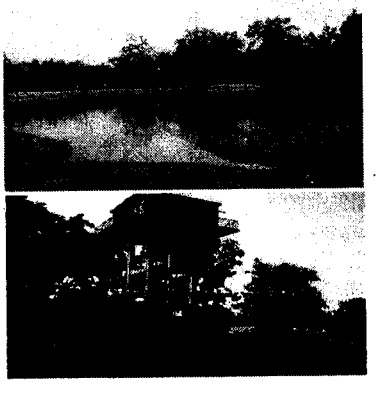

(4) Upgradation and Maintenance of Forest Roads

The state has 13486 km of forest roads, which are crucial for the transportation of forest produce and for communication of the people living in remote forest areas. Forest roads are fair weather roads, which are cut off during rainy seasons, because of rivers and small

nalas. In remote areas these forest roads are the only means of communication to rural people. It is necessary to upgrade them to facilitate communication especially in rainy season. It is proposed to upgrade 175 km forest road into WBM road. Under 12th/13th Finance Commission and Departmental budget a total of about 700 km forest road were upgraded into WBM roads. These WBM roads are not properly maintained due to paucity of funds. It is proposed to repair and maintain about 100 km road in the year 2013-14. An amount of Rs. 2100 lakh is proposed for upgradation of 175 km. Forest Roads and repair of 100 km WBM roads.

(5) Rehabilitation & Regeneration of Degraded and Bamboo Forest

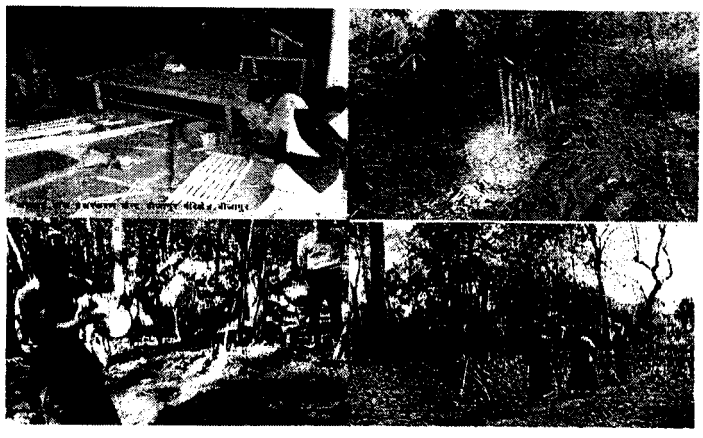

There is a large chunk of degraded forest in orange areas. Many of these areas are not covered under the working plans. Orange area contains degraded Bamboo forest also. To rehabilitate and regenerate these areas Cut back operation, Cleaning and earth work of bamboo clumps and plantation activities were taken up in the year 2012-13 which are to be maintained this year. For plantation work and for maintaining last year's work an amount of Rs. 747.60 lakh required. The Sal plantation was taken up in an area of 120 ha. in year 2012-13. This year Sal plantation will be taken up in 100 ha. Cut back operation, Assisted Natural Regeneration, Cleaning and earth work of bamboo clumps and plantation activities have been proposed in financial year 2013-14 to treat and plant an approximate area of 5600 ha. at the cost of Rs. 752.42 lakhs. A total amount of Rs. 1500 lakhs is proposed for this activity.

(6) Upgradation of Nurseries

Nurseries are most important for success of any plantation. Due to paucity of funds, the plants are raised in the traditional manner without any modern input. So the nurseries should be fully equipped with modern techniques to produce high quality planting material. Mist and hardening chamber and sprinkler irrigation system for judicious use of water will be established. The nursery staff will be properly trained to handle modern equipments. A part of the plants will be raised in root trainer. It is proposed to partially modernize and develop 2 new nurseries and to complete the incomplete works of 20 nurseries taken last year shall be taken up at a cost of Rs. 500 lakhs to produce good quality planting material in year 2013-14.

(7) Non-conventional energy resources and Rain water harvesting

Most of the Forest Rest houses, Residential Quarters of Forest staff and Forest Check posts are located in the interior and remote areas where providing electricity connection is not at all possible. So staffs are still living in darkness, the only source of lighting in such places is lantern. Because of remoteness and distance from villages it is not possible to provide electric connection to each and every staff quarter. So to harness the naturally available abundant solar energy and popularize and promote the non-convention energy resources, it is proposed to install solar lighting system, water heating system in forest rest houses and solar lighting system, solar lantern to staff quarters and check posts. The department will also try to avail the Govt. subsidy to reduce the cost of installation.

The Ground water table is decreasing every year due to vagaries of monsoon, indiscriminate exploitation of ground water etc. The Government is making all efforts to construct and popularize Rain water harvesting system in all government buildings. The Forest department is not able to implement the same due lack of funds. So to harvest the rain water and to conserve the available water it is proposed to construct Rain water harvesting system in the forest department buildings where ever possible. If it is implemented the forest department will become a role model for other departments. To achieve the above objectives 125 lakhs is proposed.

(8) Improvement of Basic Amenities in Forest Colonies

Forest staff has to live in very remote area to manage and protect the valuable natural resource i.e. forests. Their residences are normally located away from residential areas of the village having no electricity, boundary walls and drinking water facilities. Even some of the forest colonies located in the district and forest division headquarter also lack in proper basic amenities. It is proposed to provide basic facilities like providing safe drinking water, boundary walls and electricity connection to individual house hold and other miscellaneous works under this scheme. The proposed amount is 350 lakhs for the year 2013-14.

(9) Construction and strengthening of Forest Barriers

There are 365 forest barriers in the State out of which 35 are inter State barriers. Almost all barriers do not have proper building. In check posts the staffs are supposed to do round the clock duty but because of non availability of proper building and basic facilities like latrine, bathroom, lighting and drinking water, staff are forced to live in nearby villages which affect the forest protection works. So it is proposed to construct forest barriers and building of staff at inter state and highly sensitive location at a cost of Rs. 135 lakhs.

(10) Wildlife Habitat Development outside Protected Area

There are 2 National Park, 3 Tiger Reserve and 11 Sanctuaries in the State. Wildlife habitat development & other infrastructure development in these protected areas are being taken up by on going plan schemes of State Govt. and centrally sponsored schemes of Govt. on India. However there is no separate scheme for wildlife habitat development and biodiversity conservation outside the protected area, whereas these area occupy abundant wildlife and rich biodiversity. It is proposed to develop the Mudipar forest area into a wildlife habitat in Rajnandgaon district at a cost of Rs. 100 lakh.

(11) Entry Point Activity in JFM Committees

There are JFM 7887 JFM committees in the state. Of these only 2000 committees are getting sizable amount of funds in lieu of protection or harvesting of coupes in the area's of concerned JFM committees. However more then 4000 committees do not have sufficient funds to carry out various development activities. It is proposed to carryout entry point activities in these JFM committees under 13th finance commission. For the year 2013-14 Rs. 750 lakh has been proposed for entry point activities.

(12) Infrastructure Development works in sale depots

There are 28 timber and Bamboo depots in the state. At present, about 1.80 lakh Cmt. of timber and 50,000 notional ton of Bamboo are being disposed annually from these depots which fetch revenue to the tune of Rs. 350 crore per annum. Most of these depots were established about 30 years back and not being maintained properly because of paucity of funds. The general condition of infrastructure facilities and services created at that time have deteriorated with passage of time. Moreover, many of these depot are located in Naxal infested areas of the state and hence the security of dumped forest produce in such depot is of great concern and hence following works have been proposed to upgrade the facilities and services in such depot under 13th finance commission grants,

(i) Construction / Maintenance of Fencing.
(ii) Construction and strengthening of internal roads
(iii) Construction of Auction Hall, EMD room
(iv) Internal Electrification
(v) Water Supply and fire protection

For above works an amount of Rs. 600 lakhs is proposed for the year 2013-14.

(32)

(13) **Training and Development of training infrastructure**

There is a strong need for refresher courses and training to staff paricularly forest guard, forester and deputy rangers. Though IFS officers are covered under the refresher courses of MOEF schemes but state officers like Assistant Conservator of Forests and Range officers also require such refresher courses and trainings. There are 3 training school in the state which also need to be revamped in the training facilities. So to cater the needs of training and development of infrastructure facilities at training schools. An amount of Rs. 30 lakh is proposed to be spent during the year 2013-14.

(14) **Environmental Education to School/College Students**

To create awareness and to sensitize school/college student towards environment, forests and wildlife protection and their conservation, it is proposed to conduct excursion cum camping programme in forest areas for 5000 school and college student. The basic infrastructure for camping of these students at camping sites will be created in a phased manner. For this a provision of Rs. 200 lakh is proposed in the year 2013-14 under the 13th Finance commission grant.

(15) **Eco-Tourism Development outside Protected Areas through local JFMC**

In Chhattisgarh there are number of Eco-tourism spots outside protected areas like Satrenga, Buka, Futka Pahad, Chaturgarh, Mainpat, Kailash caves, Tirathgarh fall etc. Eco-tourism can provide gainful employment to local JFMC member through out the year. These spots lack basic amenities to attract tourists. For Eco-tourism Development outside protected areas basic infrastructure facilities like tourist huts, motor boats, lodging facilities, tracking routes etc are to be created. These eco-tourism centers will be run by local Joint Forest Management Committees (JFMC). This will provide facilities to the tourists as well employment opportunities to unemployed youths of JFMC. A provision of Rs. 150 lakh is proposed for the year 2013-14 for improvement of infrastructure, basic amenities in these areas and training of JFMC members.

(16) **Assisted Natural Regeneration Work in Harvested Timber and Bamboo Coupes**

A. Improvement Felling Series Coupes

Harvesting of timber coupes is done as per the working plan prescriptions of the division. The regeneration works in the harvested coupes have to be done as per the prescriptions of working plan and at the same time the area needs to be protected from fire and grazing so to establish the regeneration. These areas should get treatment as per class-I areas. But due to scarcity of funds only part treatment of the prescriptions was possible. It has been decided that all felled coupes of Selection cum Improvement (SCI) working circle will be treated under CAMPA scheme. So to meet the requirements of coupes of Improvement Felling working circle it has been decided to take up this work under 13th Finance Commission grants. The maintenance of works done in the year 2012-13 will require an amount of Rs. 93.27 lakhs. For this purpose a total amount of Rs. 893 lakhs is proposed for the year 2013-14.

B. Regeneration Work in Felled Bamboo Coupes

Bamboo coupes are harvested as per the working plan of the division. In these coupes many of the bamboo clumps which are either congested or hacked and contains less numbers of bamboos, are left un-worked by the labourers because their working is not remunerative. This results in bamboo coupes getting converted into unproductive coupes. So to maintain sustainable supply of bamboos it is silviculturally required that all un-worked bamboo clumps should be worked so to remove the congestion and earth work needs to done to strengthen the clump formation. This activity will result into improvement of bamboo forest and increase in productivity of bamboo coupes in the next felling cycle. The maintenance of works done in the year 2012-13 will require an amount of Rs. 32.86 lakhs. For the purpose of maintenance 3060 ha. and Rehabilitation of un-worked bamboo clumps of Bamboo coupes in an area of 5000 ha. an amount of Rs. 275 lakh is proposed for the year 2013-14.

Total financial requirement for 2013-14 is Rs. 8788 lakhs. The physical and financial targets are given in the annexure-I.

Addl. P.C.C.F. (Dev./Plan)
Chhattisgarh, Raipur

(133)

परिशिष्ट 'अ'

Year 2013-14
Physical and Financial Target and Achievement under 13th Finance Commission

(Rs. In lakhs)

S. No.	Description of the work	Unit	2013-14	
			Physical	Financial
1	2	3	4	5
1	Installation of generators at important offices	No.	40	200
2	Community organization and capacity Building/Training	No.	400	70
3	Improving rural infrastructure in Forest village		80 Forest Village	800
4	Upgradation of Forest Roads			
	a. Maintenance of 100 Km WBM Road	KM	100	2100
	b. Upgradation of 175 km into WBM Road	KM	175	
5	Rehabilitation & Regeneration (including plantation) of Degraded forests and Bamboo Forests and Sal Plantation	Ha.	Maintenance 8300 New Area 5600	1500
6	Upgradation of Nurseries (Part)	No.	22	500
7	Non convention energy resources, Rain water harvesting		L.S.	125
8	Improvement of Basic Amenities in Forest Colonies		L.S.	350
9	Construction and strengthening of Forest Barriers	No.	30	135
10	Wildlife Habitat Development outside Protected Area	No.	1 spots	100
11	Entry point activity in JFM Committees	JFMC no.	100	750
12	Infrastructure Development works Proposed in sale Depot	No.	12	600
13	Training and Development of training infrastructure		L.S.	30
14	Environmental Education to School/College Students		5000 students	200
15	Eco-Tourism Development outside Protected Areas through local JFMC's		5 spots	150
16	Assisted Natural Regeneration Work in Harvested Coupes			
	a. IFS Coupes	Ha.	Maintenance 8048 New area 10000	893
	b. Bamboo Coupes	Ha.	Maintenance 3060 New area 5000	275
	Grand Total :-			**8778**

A.P.C.C.F. (Dev./Plan.)
Chhattisgarh, Raipur

143

वित्तीय वर्ष 2013–14

13 वे वित्त आयोग अंतर्गत कराये जाने वाले कार्यों के प्रस्ताव

(राशि लाख रू. में

क्र.	योजना का नाम	कराये जाने वाले कार्यों का विवरण	लक्ष्य	
			भौतिक	आर्थिक
1	2	3	4	5
1	7416– तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अंतर्गत प्राप्त अनुदान	चौकी निर्माण	20 नग	700.00
		वनरक्षक आवास निर्माण	75 नग	300.00
		एनीकट निर्माण	10 नग	80.00
		स्टॉप डेम निर्माण (बड़ा)	5 नग	150.00
		तालाब निर्माण	20 नग	120.00
		अन्य कार्य –		
		क्षेत्रीय कर्मचारियों की कॉलोनी में विद्युत पहुंचाने हेतु	–	50.00
		कर्मचारियों की आवासीय कालोनी में बाउण्ड्रीवाल निर्माण	–	50.00
		आवासीय कालोनियों में पेयजल व्यवस्था	–	50.00
		योग (7416)		1500.00

28/05/13

मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी)

छत्तीसगढ़, रायपुर

(134)

परिशिष्ट 'क' 15

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़

मेडिकल कॉलेज रोड, "अरण्य भवन" रायपुर

शाखा - विकास/योजना (Email-Id: apccfdevcg@rediffmail.com)

क्र./वि.यो./बजट/124/ 1526 रायपुर, दिनांक 26/04/2013

प्रति,

प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग,
महानदी भवन, मंत्रालय
नया रायपुर, (छ.ग.)

विषय :– **13 वें वित्त आयोग अंतर्गत आबंटित कार्यों के स्थल परिवर्तन तथा नये प्रस्तावित कार्यों की स्वीकृति बाबत्।**

संदर्भ :– छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय का पत्र क्र./1329/एल–8–17/2010/ब–4/चार दिनांक 14.02.2013.

▲▲▲

वित्तीय वर्ष 2012–13 में 13 वें वित्त आयोग अंतर्गत प्राप्त सहायता अनुदान राशि से प्रपत्र–01 से 18बी तक विभिन्न कार्यों की कार्य योजना तैयार कर उच्चाधिकार समिति की बैठक में अनुमोदन हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक/वियो/बजट/1224 दिनांक 18.05.2012 के द्वारा प्रेषित किया गया है।

अधीनस्थ वृत्तों द्वारा मांग अनुसार स्थल परिवर्तन किए जाने हेतु शासन की ओर अनुमोदन हेतु निम्न प्रस्ताव पूर्व में प्रेषित किए गए हैं :–

क्र.	वनमण्डल का नाम	पूर्व प्रेषित प्रस्ताव	संशोधित स्थल परिवर्तन का प्रस्ताव
	डब्ल्यू.बी.एम. रोड निर्माण उन्नयन प्रपत्र– 5 बी		
1	बिलासपुर	रतनपुर से भैंसाझार वनमार्ग 5 कि.मी.	सोढ़ी से लिमहा 2.40 कि.मी., धौरामुड़ा से सरपटबांधा 1.60 कि.मी. एवं कनई से भादाकछार 1 कि.मी.
2	सुकमा	मिसमा से चिकपल्ली 2 कि.मी.	सुकमा से कुट्टीगुड़ा 2 कि.मी.
3	कवर्धा	नरसिंहपुर से बदौरा वनमार्ग 6 कि.मी.	बदौरा से मुनमुना वनमार्ग 6 कि.मी.
4	राजनांदगांव	कोहका से औंधी 5 कि.मी.	खुज्जी से उमरवाही 3 कि.मी. मुढ़ीपार से खुरसुल 2 कि.मी.
5	पूर्वी सरगुजा	धौरपुर से चेउरपानी 9 कि.मी. बासेन से शंकरगढ़ 4 कि.मी.	अमझर से सीतारामपुर 9 कि.मी. जारगीम मोड़ धारानगर से खरकोना 3 कि.मी. अतौरी से पाढ़ी 3 कि.मी. भाग-II
6	धमतरी	कुरमाझार से नाथूकोन्हा 4 कि.मी. छलकनी से पारधी 3 कि.मी.	कुरमाझर से गढ़िया 4 कि.मी. बासीखाई से बिरझुली 3 कि.मी.
7	पश्चिम भानुप्रतापपुर	मरोड़ा से पिनकोड़ो 5 कि.मी.	मरोड़ा से पिनकोड़ो 1 कि.मी. प्रतापपुर से मेहड़ा 4 कि.मी.
8	रायपुर	बिलाईगढ़ मुख्य मार्ग से झरनी 1 कि.मी.	भोगडीह से झपरी 1 कि.मी.
9	खैरागढ़	पिपरिया से मुंहडबरी 5 कि.मी.	गाड़ाघाट से लक्षना 3 कि.मी. टेमरी से बरगांव 2 कि.मी.

(135)

-22-

	नर्सरी उन्नयन प्रपत्र—07		
1	बिलासपुर	बांसाझाल रोपणी	इंदिरा अमराई रोपणी
2	पूर्वी सरगुजा	रनघाघ रोपणी चंद्रा	नवडीहा कक्ष क्रमांक पी 3045
	रोपण स्थल परिवर्तन प्रपत्र—06		
3	धरमजयगढ़	छिंदवारी वन परिक्षेत्र	शाहीगढ़ परिक्षेत्र
4	राजनांदगांव	नारंगी वनक्षेत्र ऐडकोड 116 हे.	नारंगी वनक्षेत्र रेंगाडबरी 116 हे.
5	बिलासपुर	गोडाडीह — 25 हे.	पकरिया नारंगी क्षेत्र — 26 हे.
		जेवरा — 30 हे.	ठरकपुर 3 आर.एफ. — 50 हे.
		भुरकुण्डा — 30 हे.	बिटकुली 33 आर.एफ. — 18 हे.
		भरारी — 50 हे.	भरारी, नारंगी क्षेत्र — 31 हे.
6	पूर्व रायपुर	गरियाबंद परिक्षेत्र के कक्ष क्र. 549 — 10 हे.	परसुली परिक्षेत्र के कक्ष क्र. 372— 10 हे.
7	कोरबा	आ.व.खं. कचांदी — 10 हे.	P- 983 (कोरबा परिक्षेत्र) — 20 हे.
		OA -1280 — 10 हे.	केशलपुर P- 976 (कोरबा परिक्षेत्र) —10 हे.
		OA -1278 — 10 हे.	—
		P -1109 — 10 हे.	आ.व.खं. सोलवा (अ) OA - 1350 - 10 हे.
	संरक्षित क्षेत्रों से बाहर वन्य प्राणियों के रहवास विकास कार्य हेतु प्रपत्र — 11 ए		
1	कांकेर	ओ.ए. आलाबेड़ा— तालाब निर्माण	आर.एफ.—13 (38) मांदरी—तालाब निर्माण
2	— ' ' —	भंवरडीह— स्टापडेम निर्माण	आर.एफ.—42 चिंवराज—तालाब निर्माण
	फारेस्ट बेरियर प्रपत्र— 10		
1	धमतरी	श्यामतराई बेरियर (राजमार्ग क्र. 30)	मड़वापथरा बेरियर (सिंगपुर परिक्षेत्र)

उपरोक्त अनुसार स्थल परिवर्तन के प्रस्ताव शासन को पूर्व में अनुमति हेतु प्रेषित किए जा चुके हैं तथा इस कार्यालय द्वारा कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। कृपया स्थल परिवर्तन को वर्ष 2012—13 के कार्य योजना में शामिल करने का अनुरोध है।

(2) नये कार्यों का प्रस्तावित वृक्षारोपण कार्यों के स्थलों की जानकारी (सूची संलग्न है) :—

	नये कार्य का प्रस्ताव	
1	बिलासपुर/जगदलपुर/रायपुर/दुर्ग/कांकेर/ सरगुजा वृत्त	सिंचित साल वृक्षारोपण — 120 हे.
2	बिलासपुर/जगदलपुर वृत्त	असिंचित मिश्रित वृक्षारोपण — 400 हे.
3	बिलासपुर/जगदलपुर/रायपुर वृत्त	असिंचित बांस वृक्षारोपण — 780 हे.

इस कार्यालय के पत्र क्र/वियो/बजट/नि.स./389 दिनांक 07.02.2013 के द्वारा शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय का पत्र क्र./1329/एल—8—17/2010/ब—4/चार दिनांक 14.02.2013 के द्वारा उपरोक्त कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है। कृपया राज्य उच्चाधिकार समिति की आगामी बैठक में कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने हेतु शासन स्तर पर आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध है।

संलग्न :— सूची।

अ.प्र.मु.व.सं., (विकास/योजना)
छत्तीसगढ़, रायपुर

D:\2013\Budget\Memo Bud..doc

(139)

प्रस्तावित वृक्षारोपण कार्यो के स्थलों की जानकारी

क्र.	वृक्षारोपण प्रकार	वृत्त का नाम	स्थल का नाम	प्रस्तावित रकबा (हे.में)
1	असिंचित मिश्रित वृक्षारोपण	बिलासपुर	नारंगी वन नवापथरा	50
2	—"—	—"—	नारंगी वन लहडिया	50
3	—"—	—"—	नारंगी वन धावा	20
4	—"—	—"—	नारंगी वन सेमरिया	20
5	—"—		नारंगी वन मझगांव	50
6	—"—		नारंगी वन पीथमपुर	30
7	—"—		नारंगी वन खजुरी	35
8	—"—		नारंगी वन कोई	20
9	—"—		नारंगी वन रजगामार	25
10	—"—	जगदलपुर	नारंगी वन अलनार	50
11	—"—		नारंगी वन रतेंगा	50
			योग :—	400
1	असिंचित बांस वृक्षारोपण	बिलासपुर	नारंगी वन चिकनी	30
2			नारंगी वन गांगपुर	50
3			नारंगी वन दावनपारा	20
4			नारंगी वन मझगांव ब	50
5			नारंगी वन पचरी	20
6			नारंगी वन पहरिया	30
7			नारंगी वन बोईरटीकरा	30
8			नारंगी वन रेलडबरी	50
9			नारंगी वन परासी	20
10			नारंगी वन टूरीडोंगरी ब	60
11			नारंगी वन तराईमारडीह	60
12			नारंगी वन जूनाडीह	30
13			नारंगी वन छिंदईपतरा	30
14		जगदलपुर	नारंगी वन सिरिसगुडा	100
15			नारंगी वन कोईटपाल अ	50
16			नारंगी वन तुमनार ब	50
17		रायपुर	नारंगी वन कारीपाठ	50

क्र.	वृक्षारोपण प्रकार	वृत्त का नाम	स्थल का नाम	प्रस्तावित रकबा (हे.में)
18			नारंगी वन खैरझिटी	50
			योग :–	**780**
1	सिंचित साल वृक्षारोपण	जगदलपुर	कक्ष क्र. 1802	10
2	––"––	रायपुर	कक्ष क्र. 549	10
3	––"––	दुर्ग	कक्ष क्र. 360,136,245	20
4	––"––	सरगुजा	पी. 1736	10
5	––"––	कांकेर	आर.एफ. 907, 993	10
6	––"––	बिलासपुर	आ.व.खं. कनचादी 744 पी, 1009, ओ.ए. 1280, ओ.ए. 1278, पी 1109	60
			योग :–	**120**
			महायोग :–	**1300**

अ.प्र.मु.व.सं. (विकास/योजना)
छत्तीसगढ़, रायपुर

144

छत्तीसगढ़ शासन
वन विभाग
मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 2–2/2011/10–2/बजट रायपुर, दिनांक 05/04/2013

प्रति,

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, रायपुर ।

पंजी क्रमांक 13
ब–4/ चार / वित्त / 20
दिनांक 23/04/1200

विषय :– 13 वें वित्त आयोग हेतु गठित उच्चधिकार समिति की बैठक हेतु जानकारी उपलब्ध कराने बाबत् ।

संदर्भ :– इस विभाग का संमसख्यक ज्ञापन दि. 24.05.2012, 28.01.2013 एवं 04.03.2013।

––00––

कृपया उपरोक्त विषय में संदर्भित ज्ञापनों का अवलोकन करें । संदर्भित ज्ञापनों द्वारा प्राप्त ज्ञापनों की पृष्ठाकिंत सूची आपकी ओर भी संशोधन करने हेतु प्रेषित किया गया है । अतः वन विभाग की प्रस्तावित योजना/कार्य की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में भेजी गई प्रस्तावों पर निम्नानुसार संशोधन कर स्थल परिवर्तन करने की सूचना मान्य करने का कष्ट करें, जो निम्नानुसार है :–

दिनांक 18.05.2012 को प्रेषित प्रस्ताव की जानकारी	**उक्त प्रेषित प्रस्ताव/जानकारी में संशोधित स्थल परिवर्तन का प्रस्ताव**
प्रपत्र 05 (B) वन मार्गो में WBM रोड़ मे कांकेर वृत्त के पश्चित भानुप्रतापपुर वनमंडल अंतर्गत पूर्व में मरोड़ा से पिनकोड़ो 05 कि.मी.	मरोड़ा से पिनकोड़ो 01 कि.मी. एवं प्रतापपुर से मेहड़ा 04 कि.मी मार्ग निर्माण कार्य हेतु स्थल परिवर्तन
बिलासपुर वनमंडल अंतर्गत रतनपुर से भैंसाझार वनमार्ग 05 कि.मी में WBM रोड़ निर्माण	सोंठी से लिम्हा 2.40 कि.मी., धौरामुंडा से सरपटबांधा 1.60 कि.मी तथा कनई से भादाकछार 1 कि.मी वनमार्ग कुल 5 कि.मी मार्ग
दुर्ग वृत्त के कवर्धा वनमंडल अंतर्गत नरसिन्हपुर से बदोरा वनमार्ग 6 कि.मी में WBM रोड़ निर्माण	बदोरा से मुनमुना वनमार्ग 6 कि.मी मार्ग निर्माण कार्य
जगदलपुर वृत्त के सुकमा वनमंडल अंतर्गत पूर्व में मिसमा से चिकपल्ली 2 कि.मी मार्ग	सुकमा से कोट्टीगुड़ा 2 कि.मी.उन्नयन कार्य हेतु
बिलासपुर वनमंडल अंतर्गत रतनपुर से भैंसाझार वनमार्ग 05 कि.मी में WBM रोड़ निर्माण	सोंठी से लिम्हा 2.40 कि.मी., धौरामुंडा से सरपटबांधा 1.60 कि.मी तथा कनई से भादाकछार 1 कि.मी वनमार्ग कुल 5 कि.मी मार्ग निर्माण
राजनांदगांव वनमंडल अंतर्गत दक्षिण मानपुर परिक्षेत्र के कोहका से औंधी 5 कि.मी. मार्ग	[illegible]मरवाही 3 कि.मी. मार्ग एवं मुड़हीपार से खुरसुल 2 कि.मी. मार्ग निर्माण
सरगुजा वृत्त के पूर्वी सरगुजा वनमंडल अंतर्गत पूर्व में धौरपुर से चेउरपानी 9 कि.मी. एवं बासेन से शंकरगढ़ 6 कि.मी. मार्ग	अमझर से सितारामपुर 9 कि.मी. एवं जारगीन मोड़ धारा नगर से खरकोना 3 कि.मी. एवं अतौरी से पाढ़ी 3 कि.मी. निर्माण कार्य हेतु
वनमंडलाधिकारी, धमतरी वनमडल अंतर्गम केरेगांव परिक्षेत्र के कुरमाझर से नाथूकोंहा 4 कि.मी. एवं छलकनी से पारथी 3 कि.मी. वनमार्ग मरम्मत कार्य	कुरमाझर से गढ़िहा 4 कि.मी. एवं बासीखाई से बिरछुली 3 कि.मी. मार्ग के मरम्मत कार्य हेतु

बिलासपुर वनमंडल अंतर्गत रतनपुर परिक्षेत्र के बांसाछाल रोपड़ी	इंदिरा अमराई रोपणी में कार्य कराये जाना हेतु स्थल परिवर्तन
सरगुजा वृत्त के पूर्वी सरगुजा वनमंडल अंतर्गत धौरपुर परिक्षेत्र के रनघाघ रोपणी चंद्रा	कुसमी परिक्षेत्र के अंतर्गत नवडीहा कक्ष कमांक–पी 3045 में नर्सरी उन्नयन कार्य
वनमंडलाधिकारी, धरमजयगढ़ वनमंडल अंतर्गत 165 हे. क्षेत्र में उच्च तकनीकी असिंचित मिश्रित वृक्षारोपण कार्य हेतु 4 नारांगी वन क्षेत्रों में से छिन्दवारी वनक्षेत्र 25 हे.	शाहीगढ़ लेलुंगा परिक्षेत्र नया चयनीत क्षेत्र के स्थन परिवर्तन
वन संरक्षक कांकेर वृत्त के आलबेड़ा एवं भंवरडीह में तालाब/स्टापडेम निर्माण	आर एफ–13 (38) मांदरी एवं आर एफ–42 चिवरांज तालाब निर्माण–1 के स्थल परिवर्तन
दुर्ग वृत्त के खैरागढ़ वनमंडल अंतर्गत पिपरिया से मुंहडबरी 5 कि.मी में WBM रोड मरम्मत निर्माण कार्य	गाड़ाघाट से लछना 3 कि.मी एवं टेमरी से बरगांव 2 कि.मी मार्ग निर्माण कार्य
वन संरक्षक रायपुर वृत्त के गरियाबंद परिक्षेत्र के कक्ष कमांक 549	परसुली परिक्षत्र के कक्ष कमांक 372 में कार्य कराये जाने के स्थल परिवर्तन
वन संरक्षक रायपुर वृत्त के बिलाईगढ़ मुख्यमार्ग से झरनी 1 कि.मी. मार्ग में WBM रोड निर्माण कार्य	भोगडीह से छपरी 1 कि.मी. मार्ग निर्माण कार्य हेतु स्थल परिवर्तन
वन संरक्षक रायपुर वृत्त द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक 30 में श्यामतराई बेरियर	उत्तर सिंगपुर परिक्षेत्र के मड़वापथरा में फारेस्ट बेरियर निर्माण कार्य कराये जाने हेतु स्थल परिवर्तन
वनमंडलाधिकारी कोरबा द्वारा परिक्षेत्र कोरबा के आ.व.खं कचांदी 10.00 हेक्ट., OA –1280 10.00 हेक्ट., OA –1278 10.00 हेक्ट. एवं पसरखेत परिक्षेत्र के P –1109 10.00 हेक्ट. कुल–40.00 हेक्टयेर ।	वनमंडलाधिकारी कोरबा द्वारा P –983 (कोरबा परिक्षेत्र) 20.00 हेक्ट., केशलपुर P –976 (कोरबा परिक्षेत्र) 10.00 हेक्ट. एवं आ.व.खं सोलवा (अ) OA –1350 10.00 हेक्ट., कुल–40.00 हेक्टयेर ।

2/– अतः अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास/योजना.) से प्राप्त उपरोक्तानुसार स्थल परिवर्तन के संशोशित प्रस्ताव को मान्य करने का कष्ट करें ।

(ए.के.भट्ट)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग
रायपुर, दिनांक /04/2013

पृ.कमांक एफ 2–2/2011/10–2/बजट
प्रतिलिपिः–

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास/योजना) छ.ग. रायपुर की ओर उनके ज्ञापनों के तारत्मय में सूचनार्थ प्रेषित ।

विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग